



STATE ANNUAL ACTION PLAN 2015-16



CHHATTISGARH



Table of Content

Content	Page No.
• Section 1	
○ Check list SAAP as per Table 6.2	- 1-2
○ Check List SAAP as per Table 6.3	- 3-5
• Section 2	-
○ MoM of SHPSC	- 6-12
• Section 3	-
○ Mission Background	- 13-15
• Section 4	-
○ CG - SAAP	- 16
▪ SAAP GoI Questionnaire	- 17-24
• Section 5	-
○ Sector wise breakup & Sharing of Investment Graph	- 26
○ Sector Wise Breakup of Consolidated Investment	- 27
○ ULB wise Source of Funds for Primary Thrust Sector	- 28
○ ULB wise Source of Funds for Water Supply Sector	- 29-30
○ ULB Wise Source of Funds for Sewerage and Septage Management Sectors	- 31-32
○ ULB Wise Source of Funds for Park & Green Space Sectors	- 33

Table of Content

Content	Page No.
○ Sector Wise Breakup of Consolidated Investment	- 35
○ Table 1.1: Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT	- 36
○ Table 1.2.1: Abstract-Sector Wise Proposed Total Project Fund and Sharing Pattern	- 37
○ Table 1.2.2: Abstract-Break-up of Total Fund Sharing Pattern	- 38
○ Table 1.3: Abstract-Use of Funds on Projects: On Going and New	- 39
○ Table 1.4: Abstract- Plan for Achieving Service Level Benchmarks	- 40
○ Table 3.1: SAAP- Master Plan of all projects to achieve universal coverage during the current Mission period based on Table 2.1 (FYs 2015-16 to 2019-20)	- 42
○ Table 3.2: SAAP- Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all AMRUT ULBs in the State	- 43
○ Table 3.3: SAAP-ULB Wise Source of Funds for All Sectors	- 44
○ Table 3.4 : SAAP-Year Wise Share of Investments for All Sectors (ULB Wise)	- 45
○ Table 3.5: SAAP-State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks	- 46
○ Table 3.6: SAAP-State level Plan for Action for Physical and Financial Progress	- 47-51
○ Table 4: SAAP - Broad Proposed Allocations for Administrative and Other Expenses	- 53
○ Table 5.1: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2015 - 16	- 55-58
○ Table 5.2: SAAP- Reform Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY-2016-17.	- 59-61
○ Table 5.3: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2017 – 18	- 62

Table of Content

Content		Page No.
○ Table 5.4: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2018 – 19	-	63
○ Table 7.1 ULB Level Individual Capacity Development Plan	-	65-66
○ Table 7.2 Annual Action Plan for Capacity Building	-	67-70
● Section 6	-	
○ Citizen & Stakeholders Consultation – Ward Wise Citizen consultation, MIC resolution & Honb’le MPs	-	71-111
○ AMRUT City Map Chhattisgarh		112

Section 1

Checklist - Consolidated State Annual Action Plan of all ULBs to be sent for Assessment by MoUD (as per Table 6.2)

State:-Chhattisgarh

S.No.	Points of Consideration	Yes/No	Give Details
1.	Have all the Cities prepared SLIP as per the suggested approach?	Yes	SLIPs prepared and submitted by the cities are as per AMRUT guidelines and is in conformity with the National and State Priority i.e. providing universal coverage of water and sewerage/Septage in AMRUT cities.
2.	Has the SAAP prioritized proposed investments across cities?	Yes	SAAP has prioritized proposed investment across cities as per principle of prioritization (para 7.2) of AMRUT. investment has been broadly distributed across all 09 cities. Distribution of investment is based on priority for providing 100% universal coverage in primary thrust sectors.
3.	Is the indicator wise summary of improvements proposed (both investments and management improvements) by State in place apt ?	Yes	Indicator wise summary of improvements proposed by the State is enclosed at Table 1.4 of SAAP. Service level indicator of NMT, Parks & Green space will be assessed in the current FY and will be included in forthcoming FY's SLIP & SAAP.
4.	Have all the cities under Mission identified/done baseline assessments of the service coverage indicators?	Yes	SLB notification of all 09 mission cities carried out from FY 2011-12 up to 2014-15.
5.	Are SAAPs addressing an approach towards meeting Service Level Benchmarks as agreed by Ministry for each Sector?	Yes	SAAP has been prepared to meet Service Level Benchmarks agreed by the Ministry
6.	Is the investment proposed commensurate to the level of improvement envisaged in the indicator?	Yes	The proposed investments commensurate to the Service Level Improvement envisaged in the indicator.
7.	Are the shares of the State and the ULB in line with the proposed Mission approach?	Yes	State Share will be 40 % in case of cities with million + population and 30 % in case of cities with population below one million. ULB Share will be 20 % in case of million + cities and 26.67 % in case of cities having population less than one million.

S.No.	Points of Consideration	Yes/No	Give Details
8.	Is there a need for additional resources and have state considered raising additional resources (State programs, aided projects, additional devolution to cities, 14th Finance Commission, external sources)?	Yes	Efforts are being made to mobilize additional resources through 14 th FC, External sources, and from reform incentive fund of AMRUT.
9.	Does State Annual Action Plan verify that the cities have undertaken financial projections to identify revenue requirements for O & M and repayments?	Yes	The operation & maintenance (O&M) of the projects proposed under the mission shall be reimbursed by user-charges collected by the ULBs. The additional fund required for O&M and repayment shall be worked out in detail at the time of preparation of DPR.
10.	Has the State Annual Action Plan considered the resource mobilization capacity of each ULB to ensure that ULB share can be mobilized?	Yes	Considering the weak financial base of ULBs in Chhattisgarh detailed computation is not carried out but efforts are being made to mobilize maximum portion of ULB share through 14FC grant.
11.	Has the process of establishment of PDMC been initiated?	Yes	SHPSC has authorized MD to initiate process of establishment of PDMC.
12.	Has a roadmap been prepared to realize the resource potential of the ULB?	Yes	The resource potential of each city has been considered while preparing SAAP.
13.	Is the implementation plan for projects and reforms in place (Timelines and yearly milestones)?	Yes	Implementation of reforms shall be as per timelines set in the mission guidelines. At the same time detailed implementation plan for projects shall be prepared in DPRs preparation process.
14.	Has the prioritization of projects in ULBs been done in accordance with para 7.2 of the guidelines ?	Yes	Projects have been prioritized in accordance with Para 7.2 of the guidelines with main consideration of potential smart city, universal coverage principal, ULBs resource capabilities etc.

minutes of the SHPSC attached.

(State Mission Director)

Check List - Tentative Appraisal of State level Action Plans by MoUD (as per Table 6.3)

	Area of Appraisal	Yes/No	Supporting Documents	Remarks
1.	Has the State prioritized cities and sectors based on the baseline data?	Yes		SLB notification of all 09 mission cities carried out since FY 2011-12 up to 2014-15.
2.	Has the State ensured that low or no cost improvements have been identified by each city?	Yes		State shall ensure that low cost alternatives are explored during preparation of DPRs.
3.	How well has the state planned and financed capital expenditure?	Yes		ULBs of Chhattisgarh are not financially sound and will not be able to contribute more than 10-20% of the capital expenditure. Therefore, capital expenditure under the mission will be largely funded by the GoI & State. As stated above ULB Share will be 26.67 % in case of million plus cities and 20 % in case of cities having population less than one million.
4.	What is the expected level of financial support from the Central Government and how well have the State/ULB and other sources of finance been identified and accessed?	Yes		Financial support for projects proposed under AMRUT will be provided by GoI as per funding pattern stipulated in the guidelines of the mission. Remaining amount will be funded by the State Government and respective ULBs.
5.	Has the State ensured that the State share has been adequately budgeted?	Yes		State Share proposals to be incorporated in state budget as per recommendation of SHPSC & concurrence of Department of Finance.

Area of Appraisal		Yes/No	Supporting Documents	Remarks
6.	Has the State instituted enough measures to ensure that cities are assisted to mobilise their share of project cost, as may be necessary?	Yes		The resource potential of each city has been considered while preparing SAAP and weaker ULBs shall be able to contribute their share by contribution of 14FC grant. State will make necessary arrangement for fund flow for project implementation.
7.	Has the State engaged Project Development and Management Consultant to manage projects and reforms ?	Yes		Draft RFP for engagement of PDMC is ready. SHPSC has authorized mission director to appoint PDMC
8.	Have the FFC grants been released to the ULBs in the State?	Yes		FFC grant will be released to ULBs time to time as per mandate and allocation of FFC.
9.	Have other performance requirements of FFC been complied with?	Yes		Micro level planning under process.
10.	How well the state has planned to move towards achievement of universal coverage and benchmarks in water supply, sewerage/septage, urban transport and storm water ?	Yes		State seeks to achieve 100% universal coverage for Water Supply, Sewerage/Septage, Parks & Green Spaces in all Mission cities. However achievement of benchmarks in NMT and Storm Water Drainage sectors are in planning stage as service level gaps are not available with ULBs.
11.	Have the targets (Timelines and Milestones) for reforms been developed ?	Yes		Targets Timelines and Milestones for reforms have been developed by state in line with mission guideline. Detailed micro level timeline will be developed at the time of DPR preparation.

Area of Appraisal		Yes/No	Supporting Documents	Remarks
12.	Has the State explored the potential for PPP in the proposed projects?	Yes		In-depth analysis will be under taken to explore PPP option for Operation & Maintenance (O&M) of the Water Supply and Sewerage/septage, Parks, Reforms projects, while preparing the Detailed Project Reports (DPRs)
13.	Has a financial intermediary been established?	Yes		State is exploring various business model for establishment of financial intermediary.
14.	How well has the diagnostic been done for gap analysis at state level?	Yes		Gap Analysis has been done with reference to the SLB data of ULB, Census-2011, and SLIP submitted by the cities.
15.	How well are the techno financial details of the projects?	Yes		Techno financial details are as per line estimates.It will be explored in details during preparation of DPR.
16.	Has the state followed policy of prioritization given in para 7.2 ?	Yes		Projects have been prioritized in accordance with Para 7.2 of the guidelines with main consideration of potential smart city, universal coverage principal, ULBs resource capabilities etc.

Section 2

CGSAP

MoM of SHPSC

Dated:-20.10.2015



राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़

—:: कार्यवाही विवरण ::—

मुख्य सचिव महो. की अध्यक्षता में आहूत अमृत मिशन अंतर्गत राज्य स्तरीय हाईपावर स्टेयरिंग कमेटी (SHPSC) की प्रथम बैठक दिनांक 20.10.2015

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित अमृत मिशन अंतर्गत राज्य स्तरीय हाईपावर स्टेयरिंग कमेटी (SHPSC) की प्रथम बैठक दिनांक 20.10.2015 को मंत्रालय महानदी भवन स्थित मुख्य सचिव के कार्यालयीन प्रतिकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण सम्मिलित हुए :-

1. श्री विवेक ढांड, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन — अध्यक्ष
2. श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, न.प्र.वि. तथा वन विभाग — सदस्य
3. श्री अमित अग्रवाल, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग — सदस्य
4. श्री संजय शुक्ला, सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग — सदस्य
5. डॉ. रोहित यादव, संचालक न.प्र.वि., मु.का.अधि, सूडा, मिशन निदेशक — सदस्य सचिव
6. श्री सारांश मित्तार, आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर — विशेष आमंत्रित
7. श्रीमती रानू साहू, आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर — विशेष आमंत्रित
8. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई — विशेष आमंत्रित
9. श्री जे.के. ध्रुव, आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव — विशेष आमंत्रित
10. श्री एस.के. सुंदरानी, आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग — विशेष आमंत्रित
11. श्री आलोक चंद्रवंशी, आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ — विशेष आमंत्रित
12. श्री लवकुश सिंगरौल, आयुक्त नगर पालिक निगम अंबिकापुर — विशेष आमंत्रित
13. श्री आर.के. दोहरे, आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर — विशेष आमंत्रित
14. श्री एम.के. वर्मा, प्रगारी आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा — विशेष आमंत्रित

निर्णय क्र. 01 :- मिशन अमृत – परिचय एवं दिशा-निर्देश – बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत का संक्षिप्त विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय क्र. 02 :- 09 मिशन सिटी द्वारा तैयार किये गए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के अनुमोदन के संबंध में – मिशन डायरेक्टर द्वारा पावर-पाइन्ट प्रस्तुति के माध्यम से, राज्य की अमृत मिशन के 09 शहरों रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, अबिकापुर, जगदलपुर से प्राप्त सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) की प्रस्तुति समिति के समक्ष की गई :-

S.No.	Name of City	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Parks)	Reforms	Total
1	2	3	4	7	9	10
1	Raipur	147.00	526.29	12.00	3.39	688.68
2	Bilaspur	245.53	21.79	8.00	3.39	278.71
3	Durg	47.43	15.00	4.30	1.00	67.73
4	Bhilai	231.11	20.00	4.30	1.00	256.41
5	Rajnandgaon	80.83	12.00	4.30	1.00	98.13
6	Korba	284.69	18.00	4.30	1.00	307.99
7	Raigarh	96.44	10.00	4.30	1.00	111.74
8	Ambikapur	46.16	6.00	4.30	1.00	57.46
9	Jagdulpur	74.00	10.00	4.30	1.00	89.30
Total Project Investments		1253.19	639.08	50.10	13.78	1956.15

उपरोक्त तालिका का समिति के पदाधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत रु.125.00 करोड़ की राशि रायपुर शहर की सिवरेज परियोजना में अतिरिक्त सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई, ताकि रायपुर शहर के अपेक्षाकृत अतिरिक्त क्षेत्र में अण्डरग्राउण्ड सीवरेज का कार्य कराया जा सके। आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा जानकारी दी गई कि, कोरबा में यूआईडीएसएसएमटी योजना अंतर्गत जल प्रदाय परियोजना का कार्य भी प्रारंभ हुआ है। अतएव इस हेतु कोरबा के SLIP में जल प्रदाय हेतु प्रावधानित राशि से समानुपातिक राशि की कमी की जावे। एजेण्डा में समाविष्ट शेष SLIPs के प्रस्तावों का यथा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

निर्णय क्र. 03 :- सीवरेज/सेप्टेज/सीवरेज सह सेप्टेज मॉडल के चयन के संबंध में – अमृत मिशन के 09 शहरों के लिए 100 प्रतिशत सीवरेज/सेप्टेज सिस्टम कवरेज हेतु समिति के समक्ष प्रस्तावित सीवरेज/सेप्टेज/सीवरेज सह सेप्टेज मॉडल प्रस्तुत किये गए –

1. रायपुर – सीवरेज सह सेप्टेज मॉडल
2. बिलासपुर – सीवरेज सेप्टेज मॉडल
3. भिलाई – सेप्टेज मॉडल
4. दुर्ग – सेप्टेज मॉडल



5. राजनांदगांव – सेप्टेज मॉडल
6. अंबिकापुर – सेप्टेज मॉडल
7. रायगढ़ – सेप्टेज मॉडल
8. जगदलपुर – सेप्टेज मॉडल
9. कोरबा – सेप्टेज मॉडल

विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

निर्णय क्र. 04 :- अमृत मिशन अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाली परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण (O & M) के संबंध में – मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों अनुसार परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण (Operation and Maintenance) हेतु SLIP में किये गए आवश्यक प्रावधान अनुसार होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति उपभोक्ता शुल्क (User Charges) के द्वारा किये जाने एवं व्यय अधिक होने पर निकायों की स्वनिधि द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

निर्णय क्र. 05 :- मिशन अमृत–State Annual Action Plan (SAAP) के अनुमोदन के संबंध मिशन में – मिशन अमृत के 09 शहरों के द्वारा मिशन निदेशक को प्रेषित की गई SLIP के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार की गई State Annual Action Plan (SAAP) समिति के समक्ष पावरपाईन्ट प्रस्तुति द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2015–16 हेतु मिशन में प्रावधानित प्राथमरी सेक्टर (जल प्रदाय योजना, सीवरेज योजना एवं ग्रीन स्पेस एवं पार्क योजना) के यूनिवर्सल कवरेज के लिए SAAP की अनुमानित लागत राशि 587.18 करोड़ है।

समिति द्वारा रायपुर शहर के सीवरेज परियोजना में रु.125.00 करोड़ की राशि अतिरिक्त प्रावधानित किये जाने की अनुशंसा एवं कोरबा के SLIP में जल प्रदाय व्यवस्था हेतु प्रावधानित राशि में समानुपातिक कमी करते हुए, तदानुसार SAAP भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

निर्णय क्र. 06 :- अमृत मिशन – राज्यांश एवं निकाय अंश के पृथक-पृथक निर्धारण के संबंध में – अमृत मिशन अंतर्गत SAAP में प्रस्तुत निम्नानुसार प्रस्तावित वित्तीय संरचना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया –

क्र.	जनसंख्या	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	शहरी निकाय का अंशदान
1	10 लाख से अधिक	33.33 प्रतिशत	40.00 प्रतिशत	26.67 प्रतिशत
2	10 लाख से कम	50.00 प्रतिशत	30.00 प्रतिशत	20.00 प्रतिशत

समिति द्वारा प्रस्तावित वित्तीय संरचना के अनुमोदन की सर्वसम्मति से अनुशंसा करते हुए, राज्यांश तथा निकाय अंश के अंतिम अनुमोदन हेतु प्रकरण मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

निर्णय क्र. 07 :- राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) का गठन किये जाने के संबंध में – राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) के गठन हेतु निम्नांकित संरचना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – अध्यक्ष
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ – सदस्य
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ – सदस्य
4. निदेशक, भू अभिलेख, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ – सदस्य
5. प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
6. सचिव, वित्त विभाग छ.ग. शासन द्वारा नामित 01 प्रतिनिधि – सदस्य
7. ज्वार्ट एडवाइजर सीपीएचईईओ, भारत सरकार के 01 प्रतिनिधि – सदस्य
8. मिशन डायरेक्टर, अमृत मिशन, छत्तीसगढ़ – सदस्य सचिव
9. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. द्वारा नामित तीन वरिष्ठ अभियंता (जल परियोजनाओं के लिए) – सदस्य
10. परिवहन परियोजनाओं के लिए संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नामित 01 प्रतिनिधि – सदस्य

निर्णय क्र. 08 :- राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) के दैनंदिन कार्यों के संपादन हेतु **Hand Holding Support Agency** चयन के संबंध में – डीपीआर के एप्राइजल एवं अनुमोदन, रिफार्म के क्रियान्वयन एवं निगरानी तथा रिफार्म के क्रियान्वयन, संबंधित विभागों से समन्वय हेतु समिति द्वारा **Hand Holding Support Agency** चयन हेतु मिशन डायरेक्टर को अधिकृत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

निर्णय क्र. 09 :- परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता (PDMC) के गठन के संबंध में – **End-to-End Support** हेतु राज्य स्तर एवं निकाय स्तर पर PDMC चयन किये जाने की कार्यवाही के संबंध में समिति द्वारा मिशन डायरेक्टर को अधिकृत किये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

R.

निर्णय क्र. 10 :- SAAP में प्रावधानित राशि, स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की राशि से अधिक होने की स्थिति में, अंतर की राशि का उपयोग सुधार कार्य (रिफार्म्स) के लिए किये जाने के संबंध में – SAAP में प्रावधानित राशि, स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की राशि से अधिक होने की स्थिति में, आधिक्य/अतिशेष राशि का उपयोग सुधार कार्य (रिफार्म्स) के लिए किये जाने तथा विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर, तत्समय कारणों का उल्लेख करते हुए, प्रकरण परिस्थितिजन्य निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।


निर्णय क्र. 11 :- विभागीय एवं अंतर्विभागीय सुधार कार्यक्रम (रिफार्म्स) के क्रियान्वयन के संबंध में – विभागीय एवं अंतर्विभागीय सुधार कार्यक्रम (रिफार्म्स) के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए SAAP में प्रावधानित माईलस्टोन अनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित समस्त विभागों को निर्देशित किये जाने समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

निर्णय क्र. 12 :- राज्य स्तरीय सुधार कार्य हेतु राज्य शासन के बजट से राशि आबंटन के संबंध में – अमृत मिशन अंतर्गत क्रियान्वयन किये जाने वाले रिफार्म के लिए होने वाली व्यय राशि की उपलब्धता हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कर मिशन की एसएलटीसी के अनुमोदन की अनुशंसा के साथ एसएचएसपीसी की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रकरण रखे जाने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

निर्णय क्र. 13 :- अमृत मिशन – 14वें वित्त आयोग की राशि का निकाय अंश हेतु (पूर्णता/आंशिक) उपयोग करने के संबंध में – अमृत मिशन के 09 शहरों के क्रियान्वयन हेतु 14वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि का शत-प्रतिशत उपयोग अमृत मिशन की SLIP में सम्मिलित कार्यों के लिए किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।


निर्णय क्र. 14 :- भारत सरकार को SAAP हेतु प्रेषित किये जाने वाली चेकलिस्ट के संबंध में – भारत सरकार को SAAP हेतु प्रेषित किये जाने वाली चेकलिस्ट, मिशन के मार्गनिर्देशों के अनुसार तालिका क्र. 6.1, 6.2 एवं 6.3 की प्रविष्टित चेकलिस्ट का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त निर्देशानुसार बैठक समाप्त घोषित की गई।
संलग्न :- समिति द्वारा अनुशंसित SAAP


(डॉ. रोहित यादव)
मिशन निदेशक (अमृत मिशन)
राज्य शहरी विकास अभिकरण
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग.।
2. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
7. सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
8. संयुक्त सचिव (अमृत सिटी) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. संयुक्त सचिव (यूडी) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
12. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़।
13. आयुक्त नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़।
14. श्री संजीव ब्यौहार, अधी. अभि., संचा. न.प्र. एवं वि. (प्र. अधि. 14वां वित्त)
15. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय नया रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
16. रिकार्ड फाईल।



मिशन निदेशक (अमृत मिशन)
राज्य शहरी विकास अभिकरण
छत्तीसगढ़

Section 3

AMRUT Mission


Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India launched Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) on 25th June 2015 for next 5 Years (March 2020) to augment infrastructure for providing urban basic services like water supply, sewerage, septage management, urban transport etc. to households, aiming to improve the quality of life for all, especially the poor and the disadvantaged. Ministry has also made a departure from its earlier practice of sanctioning projects. Under AMRUT, the Ministry will itself accord approval to the State Annual Action Plan (SAAP). Based on the approved SAAP, States High Power Steering Committee will sanction and approve the projects. Hence, the AMRUT makes States equal partners in planning and implementation of projects and promoting the spirit of cooperative federalism in the country.

The sole purpose of the Mission is to ensure that every household has access to a tap water with assured supply and connected with sewerage line or septage management facility. Beyond household level services, its aim is to improve urban environment to add values in the city and its citizen by adopting multi pronged strategy. Prominent among them are promoting non-motorized public transport, developing open and green space and promoting cities to adapt innovative strategy, practices and technologies.


AMRUT mission tacitly emphasizes that new set of policy formulation and analytical skills is required amongst urban managers to handle urban challenges. Therefore, specialist knowledge in urban planning, engineering, municipal finance and its management to facilitate cross-cutting plans and projects at ULB level will be needed to meet the challenges.

Coverage and Support & Mission Thrust Area

AMRUT Cities – POPULATION (Census 2011)



AMRUT Cities – Investment for Primary Thrust Sectors



Nine cities of Chhattisgarh having one lakh or more population are identified under the mission by Gol. Mission cities and thrust areas under mission are:-

Cities Covered under AMRUT

City	Population (in Lacs)
1 Raipur	10.48
2 Bilaspur	3.49
3 Bhilai	6.25
4 Korba	3.63
5 Rajnandgaon	1.63
6 Durg	2.67
7 Jagdalpur	1.25
8 Raigarh	1.66
9 Ambikapur	1.25

Source- census 2011


Mission Thrust Areas

1. Water supply
2. Sewerage & Septage Management.
3. Storm Water Drain
4. Pedestrian , Non-motorized & Public Transport facilities, Parking space.
5. Green spaces ,Park & Recreation centers.

Primary Purpose

Section 4

State Annual Action Plan (SAAP)



State Annual Action Plan (SAAP) GoI Questionnaire

The basic building block for the SAAP is the SLIPs prepared and approved by the ULBs. At the State level, the SLIPs of all Mission cities have been aggregated into the SAAP. While preparing SAAP, information corresponding to the following questions is indicated against each question:

Question: Has the State Government diagnosed service level gaps?

Yes, State government has diagnosed service level gaps for the State using the information provided in SLIP. While preparing SLIP Cities considered CDPs, Census-2011, notified SLB data , DPRs and ongoing project data. In addition, data of consultation process is also considered in SLIP preparation.

Question: Has the State planned for and financed capital expenditure?

Yes, State government has agreed to provide matching share with GoI share against the Capital expenditure based on the following criteria.

1. For Cities with million plus Population, 40.00% and 26.67 % of the Project Cost will be funded by the State and ULBs respectively.
2. For Cities with less than million Population 30.00% and 20.00% of the Project Cost will be funded by the State and ULBs respectively.

ULB share of project cost shall be borne by the respective ULBs from their own resources, FFC grant and through financing from financial institutions. Detailed fund flow will be derived at the time of DPR sanction.

The operation & maintenance (O&M) of the projects proposed under the mission shall be funded by the grants-in-aid provided to ULB through various sources , 10% additional reforms incentive fund proposed under AMRUT and user-charges collected by the ULB .

Question: Has the State moved towards achievement of universal coverage in water supply and sewerage/septage?

Yes, State has assessed the gap in universal coverage of water supply and sewerage/septage. Many schemes are under implementation/in pipeline/committed/approved either from State or from GoI. The funds available under ongoing/committed projects have been considered and gap is worked out after ensuring the project requirement by converging with other schemes. The city-wise timelines for achieving the goal is enclosed to respective table of SAAP.

Question: What is the expected level of the financial support from the Central Government and how well have State/ULB and other sources of finance been identified and accessed?

The financial support from the Central Government for projects proposed under AMRUT is as per funding pattern stipulated in the guidelines of the mission, as mentioned below:

1. 1/3 (One Third) of the project cost as grant from Gol:
 - For projects proposed by the cities with a population of above 10 Lakh under Water Supply, Sewerage/Septage, Storm Water Drains and Urban Transport Components.
2. 1/2 (Half) of the project cost as grant from Gol:
 - For projects proposed by the cities with a population up-to 10 Lakh under Water Supply, Sewerage/Septage, Storm Water Drains & Urban Transport Components.
 - For projects proposed to develop Green Spaces and Parks by all the cities included under AMRUT.
3. 100% by Gol:
 - Reform projects & State funds for Administrative & Office Expenses (A&OE).

Question: How fairly and equitably have the needs of the ULBs been given due consideration?

While formulating Service Level Improvement Plans (SLIPs) close consultation with all the stakeholders(as suggested in guideline) has been done to analyse the needs of the ULBs. The projects proposed under the mission have also been identified as per the diagnosed service level gaps and is also in concurrence with the National Priority to provide universal coverage of water and sewerage/septage. Once universal coverage for Water Supply and Sewerage/ Septage is achieved, the next priority of the State is to improve other sector. Therefore projects related to it are likely to be proposed. Storm Water Drainage is the last priority as flooding is not a serious problem in the cities included under AMRUT in Chhattisgarh (as assessed through SLB data). Apart from these projects dedicated fund for projects related to green spaces of amount maximum up to 2.5% of SAAP.

Question: Have adequate consultations with all stakeholders been done, including citizens, local MPs and other public representatives?

Yes, adequate consultations with all stakeholders including Mayors, Mayor In Council, Local MPs, Citizens (Citython) & representative from various departments/parastatal have been done . Valuable suggestions/views given by stake holders have been incorporated during preparation & finalization of SLIP. Details of consultations done is enclosed at Annexure.

Important steps to be followed for preparation of SAAP are mentioned below.

1.0 Principles of Prioritization

The State has identified project based on gap analysis. While prioritizing projects, universal coverage of water supply and sewerage/septage has been given top priority. The analysis showing “Principle of Prioritization”, which has been adopted during prioritization of projects for current financial year is enclosed. Information responding to the following questions has been indicated against each question:

Question: Has consultation with local MPs/MLAs, Mayors and Commissioners of the concerned ULBs been carried out prior to allocation of funding?

Yes, all the stake-holders i.e. elective representative, Commissioners/Chief Municipal Officers, technical officers as well as citizens of the concerned cities have been consulted prior to allocation of funds.

Question: Has financially weaker ULBs given priority for financing?

Yes, All 09 cities SLIP proposal for achieving universal coverage is considered in SAAP. Equal opportunity given to all ULBs based on service level gap for achieving universal coverage. As per decision of SHPSC water supply project for Korba Municipal Corporation will be considered in coming year SAAP.

Question: Is the ULB with a high proportion of urban poor has received higher share?

Yes, All 09 cities SLIP proposal for achieving universal coverage is considered in SAAP. Equal opportunity given to all ULBs based on service level gap for achieving universal coverage.

Question: Has the potential Smart cities been given preference?

Yes, Two cities namely Raipur & Bilaspur have been selected as potential Smart cities. While preparing SLIP, it has been kept in consideration and infrastructure gaps in Smart Cities . While preparation of SAAP priority have been given to both the cities.

Question: How many times projects are proposed in SAAP of the Central Assistance (CA) allocated to the State during 2015-16?

State has proposed projects amounting Rs. 587.17 Crore against CA of Rs. 290.25 Crore which is 2.02 times of the allocated Central Assistance for the financial year 2015-16.

Question: Has the allocation to different ULBs within State is consistent with the urban profile of the state?

As per diagnosed service level and SLIP for achieving universal coverage is incorporated in SAAP. For disbursement of FFC grant as ULB share urban profile norms of area and population considered .

2.0 Importance of O&M

It has been observed that ULBs pay little attention to the operation and maintenance of infrastructure assets created after completion of projects. This tendency on the part of implementing agencies leads to seer loss off national assets. Please provide information in 500 words responding to the following questions regarding importance given to O&M:

Question: Has Projects being proposed in the SAAP includes O & M for at least five years?

Yes, all the projects proposed under the mission considered O&M for at least 5 years. It is also planned to incorporate necessary provision of O&M in DPR and Contract document.

Question: How O&M expenditures are propose to be funded by ULBs/ parastatal?

The operation & maintenance (O&M) of the projects proposed under the mission will be done by the concerned ULBs and the cost of O&M shall be funded through user-charges to be collected by the ULBs and the by dovetailing the available funds provided by the state and central government under various schemes as applicable.

Question: Is it by way of levy of user charges or other revenue streams?

It is proposed that cost of O&M shall be recovered by way of user-charges to be collected by the concerned ULBs. However, in the initial phase until full roll out, the cost of O&M is proposed to be funded by the grants-in-aid provided to ULBs under different head will be utilised. The details of proposal for recovery of O&M shall be formulated while preparation of DPR and will be an integral part of the all the projects proposed under the mission.

Question: Has O&M cost been excluded from project cost for the purpose of funding?

Yes, for the purpose of calculation of the project cost, the O&M cost has been excluded as per guidelines of the mission

Question: What kind of model been proposed by States/ULBs to fund the O&M?

The O&M shall be done by the concerned ULB and PPP opportunities shall be explored for recovery of user charges. However, in initial phase user charges may not be sufficient to recover the entire O&M cost, for which innovative proposals like energy saving projects, reduction in NRW and other losses etc. have been considered.

Question: Is it through an appropriate cost recovery mechanism in order to make them self-reliant and cost-effective?

Cost recovery mechanism shall be formulated while preparation of DPR and Bid document and will be an integral part of the all the projects proposed under the mission.

3.0 Financing of Projects

Financing is an important element of the SAAP. Each state has been given the maximum share which will be given by the Central Government. (Para 5 of AMRUT Guidelines). The States/ULBs have to plan for the remaining resource generation at the time of preparation of the SAAP. The financial share of cities will vary across States. In some States, the ULBs may be in a position to contribute significantly to the project cost as compared to a ULB in another State. Please provide information responding to the following questions regarding financing of the projects proposed under AMRUT.

Question: How the residual financing (over and above Central Government share) is shared between the States, ULBs?

The financial support from the Central Government for projects proposed under AMRUT is as per funding pattern stipulated in the guidelines of the mission i.e. 1/3 for cities with population above 10 Lakh and 1/2 for cities with population below 10 Lakh. The State Share will be 40 % in case of cities with population above 10 Lakh and 30% in case of cities with population below 10 Lakh and remaining amount shall be borne by the ULBs.

Question: Has any other sources identified by the State/ULB (e.g. PPP, market borrowing)?

Yes, efforts are being made to mobilize additional resources through various funding agency, multilateral support. However, at this stage exact details have not been worked out. It is proposed that the same shall be worked out while preparing the DPRs.

Question: What is the State contribution to the SAAP? (it should not be less than 20 percent of the total project cost, Para 7.4 of AMRUT Guidelines)

The State has agreed to provide matching share. Matching share from the state will be 40% in case of cities with population above 10 Lakh and 30% in case of cities with population below 10 Lakh.

Question: Whether complete project cost is linked with revenue sources in SAAP?

Yes, ULB share is funded through FFC, self revenue and 10% additional reforms incentive fund proposed under AMRUT which can be availed by ULBs.

Question: Has projects been dovetailed with other sectoral and financial programme of the Centre and State Governments?

Yes, projects have been dovetailed/converged with ongoing/sanctioned projects under JnNURM, UIDSSMT, Smart City, SBM etc.

Question: Is state planning to create a Financial Intermediary, in order to pool funds from all sources and release funds to ULBs in time? Please provide detail.

State is exploring various business model for planning of establishing of financial Intermediary .This institution will be established within stipulated timeline of reform implementation.

Question: Has States/UTs explored the possibility of using Public Private Partnerships (PPP), as an preferred execution model?

While formulating the Detailed Project Reports (DPRs), PPP option shall be explored for Operation & Maintenance (O&M) of the Water Supply and Sewerage/Septage, Parks and reform projects.

Question: Are PPP options included appropriate Service Level Agreements (SLAs) which may lead to the People Public Private Partnership (PPPP) model?

The PPP options including appropriate Service Level Agreements (SLAs) leading to the People Public Private Partnership (PPPP) model shall be worked out while preparing the DPRs.

Section 5


Format of State Annual Action Plan

Name of State-Chhattisgarh


Time Period :FY 2015-16



Sector Wise Breakup of Consolidated Investments (Rs. in Cr.)



Sharing of Investments for Primary Thrust Sector (Rs. in Cr.)



Name of State: Chhattisgarh

Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all AMRUT ULBs in the State to achieve 100% benchmarks for Primary Thrust Sectors viz. Water Supply & Sewerage/Septage Management for FY 2015-20

(Amount in Cr)

S.No.	Name of City	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Drainage	Urban Transport	Others (Parks)	Total	Reforms	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Raipur	147.00	651.29	-	-	12.00	810.29	3.39	813.68
2	Bilaspur	245.53	21.79	-	-	8.00	275.32	3.39	278.71
3	Durg	47.43	15.00	-	-	4.30	66.73	1.00	67.73
4	Bhilai	231.11	20.00	-	-	4.30	255.41	1.00	256.41
5	Rajnandgaon	80.83	12.00	-	-	4.30	97.13	1.00	98.13
6	Korba	201.36	18.00	-	-	4.30	223.66	1.00	224.66
7	Raigarh	96.44	10.00	-	-	4.30	110.74	1.00	111.74
8	Ambikapur	46.16	6.00	-	-	4.30	56.46	1.00	57.46
9	Jagdalpur	74.00	10.00	-	-	4.30	88.30	1.00	89.30
Total Project Investments		1169.86	764.08	0.00	0.00	50.10	1984.04	13.78	1997.82
							A & OE (@8.98x5)		44.90
								Grand Total	2042.72

Name of State: CHHATTISGARH										FY 2015-20	
ULB Wise Source of Funds for Primary Thrust Sectors											
(Amount in Cr.)											
S.No.	Name of City	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=3+6+9
1	Raipur	273.49	-	324.12	324.12	-	216.08	216.08	-	-	813.68
2	Bilaspur	141.05	-	82.60	82.60	-	55.06	55.06	-	-	278.71
3	Durg	34.37	-	20.02	20.02	-	13.35	13.35	-	-	67.73
4	Bhilai	128.71	-	76.62	76.62	-	51.08	51.08	-	-	256.41
5	Rajnandgaon	49.57	-	29.14	29.14	-	19.43	19.43	-	-	98.13
6	Korba	112.83	-	67.10	67.10	-	44.73	44.73	-	-	224.66
7	Raigarh	56.37	-	33.22	33.22	-	22.15	22.15	-	-	111.74
8	Ambikapur	29.23	-	16.94	16.94	-	11.29	11.29	-	-	57.46
9	Jagdalpur	45.15	-	26.49	26.49	-	17.66	17.66	-	-	89.30
Total		870.75	-	676.24	676.24	-	450.83	450.83	-	-	1997.82

Name of State: CHHATTISGARH

ULB Wise Source of Funds for Water Supply Sectors

(Amount in Cr.)

S.No.	Name of City	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=3+6+9
1	Raipur	49.00	-	58.80	58.80	-	39.20	39.20	-	-	147.00
2	Bilaspur	122.77	-	73.66	73.66	-	49.11	49.11	-	-	245.53
3	Durg	23.72	-	14.23	14.23	-	9.49	9.49	-	-	47.43
4	Bhilai	115.56	-	69.33	69.33	-	46.22	46.22	-	-	231.11
5	Rajnandgaon	40.42	-	24.25	24.25	-	16.17	16.17	-	-	80.83
6	Korba	100.68	-	60.41	60.41	-	40.27	40.27	-	-	201.36
7	Raigarh	48.22	-	28.93	28.93	-	19.29	19.29	-	-	96.44
8	Ambikapur	23.08	-	13.85	13.85	-	9.23	9.23	-	-	46.16
9	Jagdalpur	37.00	-	22.20	22.20	-	14.80	14.80	-	-	74.00
Total		560.43	-	365.66	365.66		243.77	243.77	-	-	1169.86

Name of State: CHHATTISGARH

ULB Wise Source of Funds for Water Supply Sectors

(Amount in Cr.)

S.No.	Name of City	Centre			State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
		Shared	100%	TOTAL	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12	13	14=5+8+11
1	Raipur	16.33	0.00	16.33	-	19.60	19.60	-	13.07	13.07	-	-	49.00
2	Bilaspur	40.92	0.00	40.92	-	24.55	24.55	-	16.37	16.37	-	-	81.84
3	Durg	17.84	0.00	17.84	-	10.70	10.70	-	7.13	7.13	-	-	35.67
4	Bhilai	38.52	0.00	38.52	-	23.11	23.11	-	15.41	15.41	-	-	77.04
5	Rajnandgaon	13.47	0.00	13.47	-	8.08	8.08	-	5.39	5.39	-	-	26.94
6	Korba	33.56	0.00	33.56	-	20.14	20.14	-	13.42	13.42	-	-	67.12
7	Raigarh	16.07	0.00	16.07	-	9.64	9.64	-	6.43	6.43	-	-	32.15
8	Ambikapur	23.08	0.00	23.08	-	13.85	13.85	-	9.23	9.23	-	-	46.16
9	Jagdalpur	12.33	0.00	12.33	-	7.40	7.40	-	4.93	4.93	-	-	24.67
Total		212.13	0.00	212.13	-	137.08	137.08		91.38	91.38	-	-	440.59

Name of State: CHHATTISGARH										FYs 2015-20	
ULB Wise Source of Funds for Sewerage and Septage Management Sectors											
(Amount in Cr.)											
S.No.	Name of City	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=3+6+9
1	Raipur	217.10	-	260.52	260.52	-	173.68	173.68	-	-	651.29
2	Bilaspur	10.90	-	6.54	6.54	-	4.36	4.36	-	-	21.79
3	Durg	7.50	-	4.50	4.50	-	3.00	3.00	-	-	15.00
4	Bhilai	10.00	-	6.00	6.00	-	4.00	4.00	-	-	20.00
5	Rajnandgaon	6.00	-	3.60	3.60	-	2.40	2.40	-	-	12.00
6	Korba	9.00	-	5.40	5.40	-	3.60	3.60	-	-	18.00
7	Raigarh	5.00	-	3.00	3.00	-	2.00	2.00	-	-	10.00
8	Ambikapur	3.00	-	1.80	1.80	-	1.20	1.20	-	-	6.00
9	Jagdalpur	5.00	-	3.00	3.00	-	2.00	2.00	-	-	10.00
Total		273.49	-	294.35	294.35		196.24	196.24	-	-	764.08


Name of State: CHHATTISGARH												FY 2015-16		
ULB Wise Source of Funds for Sewerage and Septage Management Sectors														
(Amount in Cr.)														
S.No.	Name of City	Centre			State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total	
		Shared	100%	TOTAL	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total				
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12	13	14=5+8+11	
1	Raipur	3.33	0.00	3.33	-	4.00	4.00	-	2.67	2.67	-	-	10.00	
2	Bilaspur	10.90	0.00	10.90	-	6.54	6.54	-	4.36	4.36	-	-	21.79	
3	Durg	7.50	0.00	7.50	-	4.50	4.50	-	3.00	3.00	-	-	15.00	
4	Bhilai	10.00	0.00	10.00	-	6.00	6.00	-	4.00	4.00	-	-	20.00	
5	Rajnandgaon	6.00	0.00	6.00	-	3.60	3.60	-	2.40	2.40	-	-	12.00	
6	Korba	9.00	0.00	9.00	-	5.40	5.40	-	3.60	3.60	-	-	18.00	
7	Raigarh	5.00	0.00	5.00	-	3.00	3.00	-	2.00	2.00	-	-	10.00	
8	Ambikapur	3.00	0.00	3.00	-	1.80	1.80	-	1.20	1.20	-	-	6.00	
9	Jagdalpur	5.00	0.00	5.00	-	3.00	3.00	-	2.00	2.00	-	-	10.00	
Total		59.73	0.00	59.73	-	37.84	37.84		25.22	25.22	-	-	122.79	

Name of State: CHHATTISGARH											FY 2015-16		
ULB Wise Source of Funds for Park & Green Space Sectors													
(Amount in Cr.)													
S.No.	Name of City	Centre			State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
		Shared	100%	TOTAL	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12	13	14=5+8+11
1	Raipur	0.80	0.00	0.80	-	0.96	0.96	-	0.64	0.64	-	-	2.40
2	Bilaspur	0.80	0.00	0.80	-	0.48	0.48	-	0.32	0.32	-	-	1.60
3	Durg	0.43	0.00	0.43	-	0.26	0.26	-	0.17	0.17	-	-	0.86
4	Bhilai	0.43	0.00	0.43	-	0.26	0.26	-	0.17	0.17	-	-	0.86
5	Rajnandgaon	0.43	0.00	0.43	-	0.26	0.26	-	0.17	0.17	-	-	0.86
6	Korba	0.43	0.00	0.43	-	0.26	0.26	-	0.17	0.17	-	-	0.86
7	Raigarh	0.43	0.00	0.43	-	0.26	0.26	-	0.17	0.17	-	-	0.86
8	Ambikapur	0.43	0.00	0.43	-	0.26	0.26	-	0.17	0.17	-	-	0.86
9	Jagdalpur	0.43	0.00	0.43	-	0.26	0.26	-	0.17	0.17	-	-	0.86
Total		4.61	0.00	4.61	-	3.25	3.25		2.16	2.16	-	-	10.02

Abstract of State Annual Action Plan (SAAP)
Consolidated Requirement of State and Share of Each Stakeholder


Table No.	Content
1.1	Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT
1.2.1	Sector Wise Proposed Total Project Fund and Sharing Pattern
1.2.2	Break-up of Total Fund Sharing Pattern
1.3	Use of Funds on Projects: On-going and New
1.4	Plan for Achieving Service Level Benchmarks

Sector Wise Breakup of Consolidated Investments FY 2015-16 (Rs. in Cr.)



Total Investment = 596.16 Cr.

Sharing of Investments for Primary Thrust Sector FY 2015-16 (Rs. in Cr.)



Total Investment = 587.18 Cr.

Name of State: CHHATTISGARH					FY 2015-16
Table 1.1: Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT					
(Amount in Cr.)					
Total Central funds allocated to State	Allocation of Central funds for A&OE	Allocation of funds for AMRUT (Central Share)	Multiply col. 3 by x3 for AMRUT on col.4 (Project Proposal to be three-times the annual allocation - CA)	Add equal (col.4) State/ULB share	Total AMRUT annual size (cols.2+4+5)
1	2	3	4	5	6
87.77	8.98	96.75	290.25	290.25	589.48

Name of State: CHHATTISGARH								FY 2015-16
Table 1.2.1: Abstract-Sector Wise Proposed Total Project Fund and Sharing Pattern								
(Amount in Cr.)								
Sl.No.	Sector	No. of Projects	Centre	State	ULB	Convergence	Others	Total
1	Water Supply	27	212.13	137.08	91.38	-	-	440.59
2	Sewerage and Septage Management	11	59.73	37.84	25.22	-	-	122.79
3	Drainage	0	-	-	-	-	-	-
4	Urban Transport	0	-	-	-	-	-	-
5	Others (Parks+Reforms)	28	18.39	3.25	2.16	-	-	23.80
6	Grand Total	66	290.25	178.16	118.77			587.18

Name of State: CHHATTISGARH											FY 2015-16
Table 1.2.2: Abstract-Break-up of Total Fund Sharing Pattern											
											(Amount in Cr.)
Sl.No.	Sector	Centre	State			ULB			Convergence	Others	Total
		Mission	14 th FC	Others	Total	14 th FC	Others	Total			
1	Water Supply	212.13	-	137.08	137.08	-	91.38	91.38	-	-	440.59
2	Sewrage and Septage Management	59.73	-	37.84	37.84	-	25.22	25.22	-	-	122.79
3	Draingae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Urban Transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Others (Parks+Reforms)	18.39	-	3.25	3.25	-	2.16	2.16	-	-	23.80
6	Grand Total	290.25	-	178.16	178.16	-	118.77	118.77	-	-	587.18

Name of State: CHHATTISGARH

FY 2015-16

Table 1.3: Abstract-Use of Funds on Projects: On Going and New

(Amount in Cr.)

S. No.	Sector	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous Year						Proposed Spending during Current Financial Year						Balance Carry Forward for Next Financial Years							
			State			ULB			State			ULB			State			ULB				
			Centre	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total	Centre	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total	Centre	14th FC	Others	Total	14th FC	Others
1	Water Supply	1169.86	-	-	-	-	-	-	212.13	-	137.08	137.08	0.00	91.38	91.38	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewerage/ Septage Management	764.08	-	-	-	-	-	-	59.73	-	37.84	37.84	0.00	25.22	25.22	-	-	-	-	-	-	-
3	Drainage	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4	Urban Transport	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
5	Others (Parks + Reform)	63.88	-	-	-	-	-	-	18.39	-	3.25	3.25	0.00	2.16	2.16	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total		1997.82	-	-	-	-	-	-	290.25	-	178.16	178.16	0.00	118.77	118.77	-	-	-	-	-	-	-

Name of State: CHHATTISGARH										FY 2015-16
Table 1.4: Abstract- Plan for Achieving Service Level Benchmarks										
Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Target based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)						
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	
				H1	H2					
Water Supply										
27 Projects	1169.86	1. Household level coverage of direct water supply connections	45.12	-	-	9.50	21.30	43.12	54.88	
		2. Per capita quantum of water supplied	98.16	-	-	3.00	11.80	31.23	36.84	
		3. Quality of water supplied	81.14	-	-	3.00	7.60	16.30	18.86	
Sewerage and Septage Management										
11 Projects	764.08	4. Coverage of latrines (individual or community)	69.92	-	-	9.6	20.1	30	30.08	
		5. Coverage of sewerage network services	4.67	-	-	2	30	78	95.33	
		6. Efficiency of Collection of Sewerage	6.67	-	-	6.8	33.9	85.7	93.33	
		7. Efficiency in treatment	8.33	-	-		23.89	87.34	91.67	
Drainage										
		8. Coverage of storm water drainage network	-	-	-	-	-	-	-	
Urban Transport										
		9. Service coverage of urban transport in the city	-	-	-	-	-	-	-	
		10. Availability of urban transport per 1000 population	-	-	-	-	-	-	-	

State Annual Action Plan (SAAP) derived from SLIPs

Table No.	Content
3.1	Master Plan of all projects to achieve universal coverage during the current Mission period based on Table 2.1 (FYs 2105-16 to 2019-20)
3.2	Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for each ULB in the State
3.3	ULB Wise Source of Funds for All Sectors
3.4	Year Wise Share of Investments for All Sectors (ULB Wise)
3.5	State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks
3.6	State Level Plan of Action for Physical and Financial Progress

Name of State: CHHATTISGARH				Current Mission Period 2015-20
Table 3.1: SAAP- Master Plan of all projects to achieve universal coverage during the current Mission period based on Table 2.1 (FYs 2015-16 to 2019-20)				
(Amount in Cr.)				
Sr.No.	Name of ULB (water supply and sewerage)	Total number of projects to achieve universal coverage	Estimated Cost	Number of years to achieve universal coverage
1	2	3	4	5
1	Raipur	5	798.29	5
2	Bilaspur	5	267.32	5
3	Durg	4	62.43	5
4	Bhilai	4	251.11	5
5	Rajnandgaon	4	92.83	5
6	Korba	4	219.36	4
7	Raigarh	4	106.44	5
8	Ambikapur	4	52.16	3
9	Jagdalpur	4	84.00	5
Total		38	1933.94	5

Name of State: Chhattisgarh								FY2015-16
Table 3.2: SAAP- Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all AMRUT ULBs in the State								
(Amount in Cr.)								
S.No.	Name of City	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Drainage	Urban Transport	Others (Parks)	Reforms	Total
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Raipur	49.00	10.00	-	-	2.40	3.39	64.79
2	Bilaspur	81.84	21.79	-	-	1.60	3.39	108.62
3	Durg	35.67	15.00	-	-	0.86	1.00	52.53
4	Bhilai	77.04	20.00	-	-	0.86	1.00	98.90
5	Rajnandgaon	26.94	12.00	-	-	0.86	1.00	40.80
6	Korba	67.12	18.00	-	-	0.86	1.00	86.98
7	Raigarh	32.15	10.00	-	-	0.86	1.00	44.01
8	Ambikapur	46.16	6.00	-	-	0.86	1.00	54.02
9	Jagdapur	24.67	10.00	-	-	0.86	1.00	36.53
Total Project Investments		440.59	122.79	0.00	0.00	10.02	13.78	587.18
							A & OE	8.98
							Grand Total	596.16

Name of State: CHHATTISGARH											FY2016-17
											(Amount in Cr.)
Table 3.3: SAAP-ULB Wise Source of Funds for All Sectors											
S.No.	Name of City	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Raipur	23.86	0.00	24.56	24.56	16.37	0.00	16.37	-	-	64.79
2	Bilaspur	56.01	0.00	31.57	31.57	7.85	13.20	21.05	-	-	108.63
3	Durg	26.77	0.00	15.46	15.46	6.33	0.00	6.33	-	-	48.55
4	Bhilai	49.95	0.00	29.37	29.37	15.67	3.91	19.58	-	-	98.90
5	Rajnandgaon	20.90	0.00	11.94	11.94	4.63	3.33	7.96	-	-	40.80
6	Korba	43.99	0.00	25.79	25.79	12.11	10.64	22.75	-	-	92.53
7	Raigarh	22.50	0.00	12.90	12.90	4.01	4.59	8.60	-	-	44.01
8	Ambikapur	27.51	0.00	15.91	15.91	2.87	6.15	9.02	-	-	52.44
9	Jagdalpur	18.76	0.00	10.66	10.66	3.51	3.60	7.11	-	-	36.53
Total		290.25	0.00	178.16	178.16	73.35	45.42	118.77	-	-	587.17

Name of State: CHHATTISGARH																	FY2015-16							
Table 3.4 : SAAP-Year Wise Share of Investments for All Sectors (ULB Wise)																	(Amount in Cr.)							
S.No	Name of City	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous Year						Proposed Spending during Current Financial Year									Balance Carry Forward for Next Financial Years						
			State			ULB			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB				
			Centre	14th FC	Others	Total	14th FC	Others		Total	14th FC	Others	Total	14th FC	Others		Total	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total	
1	Raipur	813.68	-	-	-	-	-	-	23.86	0.00	24.56	24.56	16.37	0.00	16.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bilaspur	278.71	-	-	-	-	-	-	56.01	0.00	31.57	31.57	7.85	13.20	21.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Durg	67.73	-	-	-	-	-	-	26.77	0.00	15.46	15.46	6.33	0.00	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bhilai	256.41	-	-	-	-	-	-	49.95	0.00	29.37	29.37	15.67	3.91	19.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rajnandgaon	98.13	-	-	-	-	-	-	20.90	0.00	11.94	11.94	4.63	3.33	7.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Korba	224.66	-	-	-	-	-	-	43.99	0.00	25.79	25.79	12.11	10.64	22.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Raigarh	111.74	-	-	-	-	-	-	22.50	0.00	12.90	12.90	4.01	4.59	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ambikapur	57.46	-	-	-	-	-	-	27.51	0.00	15.91	15.91	2.87	6.15	9.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jagdalpur	89.30	-	-	-	-	-	-	18.76	0.00	10.66	10.66	3.51	3.60	7.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1997.82	-	-	-	-	-	-	290.25	0.00	178.16	178.16	73.35	45.42	118.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Name of State: CHHATTISGARH		FY2015-16							
Table 3.5: SAAP-State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks									
(Amount in Cr.)									
Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Target (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
				H1	H2				
Water Supply									
27 Projects	1169.86	1. Household level coverage of direct water supply connections	45.12	-	-	9.50	21.30	43.12	54.88
		2. Per capita quantum of water supplied	98.16	-	-	3.00	11.80	31.23	36.84
		3. Quality of water supplied	81.14	-	-	3.00	7.60	16.30	18.86
Sewerage and Septage Management									
11 Projects	764.08	4. Coverage of latrines (individual or community)	69.92	-	-	9.6	20.1	30	30.08
		5. Coverage of sewerage network services	4.67	-	-	2	30	78	95.33
		6. Efficiency of Collection of Sewerage	6.67	-	-	6.8	33.9	85.7	93.33
		7. Efficiency in treatment	8.33	-	-	-	23.89	87.34	91.67
Drainage									
		8. Coverage of storm water drainage network	-	-	-	-	-	-	-
Urban Transport									
		9. Service coverage of urban transport in the city	-	-	-	-	-	-	-
		10. Availability of urban transport per 1000 population	-	-	-	-	-	-	-

Name of State: CHHATTISGARH								FY 2015-16	
Table 3.6: SAAP-State level Plan for Action for Physical and Financial Progress									
SECTOR: WATER SUPPLY								(Amount in Cr.)	
S.No	Name of City	Performance indicator	Baseline	Mission Target	For the Financial Year				
					For Half Year 1		For Half Year 2		
					Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized	Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized	
1	Raipur	Household level coverage of direct water supply connections	47.00	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	9.80	
		Per capita quantum of water supplied	127.00	135	-	-			
		Quality of water supplied	98.00	100	-	-			
2	Bilaspur	Household level coverage of direct water supply connections	50.00	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	16.37	
		Per capita quantum of water supplied	130.00	135	-	-			
		Quality of water supplied	0.00	100	-	-			
3	Durg	Household level coverage of direct water supply connections	53.20	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	15.41	
		Per capita quantum of water supplied	50.80	135	-	-			
		Quality of water supplied	94.20	100	-	-			
4	Bhilai	Household level coverage of direct water supply connections	30.00	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	15.41	
		Per capita quantum of water supplied	115.00	135	-	-			
		Quality of water supplied	90.00	100	-	-			
5	Rajnandgaon	Household level coverage of direct water supply connections	53.30	100	-	-	DPR Preparation &	5.39	

Name of State: CHHATTISGARH					FY 2015-16			
Table 3.6: SAAP-State level Plan for Action for Physical and Financial Progress								
SECTOR: WATER SUPPLY							(Amount in Cr.)	
S.No	Name of City	Performance indicator	Baseline	Mission Target	For the Financial Year			
					For Half Year 1		For Half Year 2	
					Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized	Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized
		Per capita quantum of water supplied	130.12	135	-	-	Material Procurement	
		Quality of water supplied	100.00	100	-	-		
6	Korba	Household level coverage of direct water supply connections	21.20	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	13.42
		Per capita quantum of water supplied	75.00	135	-	-		
		Quality of water supplied	100.00	100	-	-		
7	Raigarh	Household level coverage of direct water supply connections	38.40	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	6.43
		Per capita quantum of water supplied	103.00	135	-	-		
		Quality of water supplied	86.90	100	-	-		
8	Ambikapur	Household level coverage of direct water supply connections	50.90	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	9.23
		Per capita quantum of water supplied	87.50	135	-	-		
		Quality of water supplied	96.30	100	-	-		
9	Jagdalpur	Household level coverage of direct water supply connections	62.10	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	4.93
		Per capita quantum of water supplied	65.00	135	-	-		
		Quality of water supplied	64.90	100	-	-		
TOTAL								96.39

Name of State: CHHATTISGARH						FY 2015-16		
Table 3.6: SAAP-State level Plan for Action for Physical and Financial Progress								
SECTOR: SEWERAGE AND SAPTAGE							(Amount in Cr.)	
S.No	Name of City	Performance indicator	Baseline	Mission Target	For the Financial Year			
					For Half Year 1		For Half Year 2	
					Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized	Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raipur	Coverage of latrines	81.70	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	2.00
		Coverage of sewerage network services	0.00	100	-	-		
		Efficiency of Collection of Sewerage	0.00	100	-	-		
		Efficiency in treatment	0.00	100	-	-		
2	Bilaspur	Coverage of latrines	20.00	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	4.36
		Coverage of sewerage network services	0.00	100	-	-		
		Efficiency of Collection of Sewerage	20.00	100	-	-		
		Efficiency in treatment	45.00	100	-	-		
3	Durg	Coverage of latrines	92.00	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	3.00
		Coverage of sewerage network services	2.00	100	-	-		
		Efficiency of Collection of Sewerage	0.00	100	-	-		
		Efficiency in treatment	0.00	100	-	-		

Name of State: CHHATTISGARH							FY 2015-16	
Table 3.6: SAAP-State level Plan for Action for Physical and Financial Progress								
SECTOR: SEWERAGE AND SAPTAGE							(Amount in Cr.)	
S.No	Name of City	Performance indicator	Baseline	Mission Target	For the Financial Year			
					For Half Year 1		For Half Year 2	
					Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized	Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Bhilai	Coverage of latrines	73.00	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	4.00
		Coverage of sewerage network services	40.00	100	-	-		
		Efficiency of Collection of Sewerage	40.00	100	-	-		
		Efficiency in treatment	30.00	100	-	-		
5	Rajnandgaon	Coverage of latrines	93.70	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	2.40
		Coverage of sewerage network services	0.00	100	-	-		
		Efficiency of Collection of Sewerage	0.00	100	-	-		
		Efficiency in treatment	0.00	100	-	-		
6	Korba	Coverage of latrines	81.60	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	3.60
		Coverage of sewerage network services	0.00	100	-	-		
		Efficiency of Collection of Sewerage	0.00	100	-	-		
		Efficiency in treatment	0.00	100	-	-		
7	Raigarh	Coverage of latrines	25.00	100	-	-	DPR Preparation & Material	2.00
		Coverage of sewerage network services	0.00	100	-	-		

Name of State: CHHATTISGARH							FY 2015-16	
Table 3.6: SAAP-State level Plan for Action for Physical and Financial Progress								
SECTOR: SEWERAGE AND SAPTAGE							(Amount in Cr.)	
S.No	Name of City	Performance indicator	Baseline	Mission Target	For the Financial Year			
					For Half Year 1		For Half Year 2	
					Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized	Physical Progress to be achieved	Funds to be utilized
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Efficiency of Collection of Sewerage	0.00	100	-	-	Procurement	
		Efficiency in treatment	0.00	100	-	-		
8	Ambikapur	Coverage of latrines	69.46	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	1.20
		Coverage of sewerage network services	0.00	100	-	-		
		Efficiency of Collection of Sewerage	0.00	100	-	-		
		Efficiency in treatment	0.00	100	-	-		
9	Jagdalpur	Coverage of latrines	92.80	100	-	-	DPR Preparation & Material Procurement	2.00
		Coverage of sewerage network services	0.00	100	-	-		
		Efficiency of Collection of Sewerage	0.00	100	-	-		
		Efficiency in treatment	0.00	100	-	-		
TOTAL								24.56

Plan of Action for Administrative and Other Expenses (A&OE)



Name of State: CHHATTISGARH					FY 2015-16			
Table 4: SAAP - Broad Proposed Allocations for Administrative and Other Expenses								
(Amount in Cr.)								
S.No.	Items proposed for A&OE	Total Allocation	Committed Expenditure from previous year (if any)	Proposed spending for Current Financial year	Balance to Carry Forward			
					FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
1	Preparation of SLIP and SAAP	-	0.00	Total allocation for preparation of SLIP & SAAP is 2.25 Cr, Since Current year's SLIP & SAAP prepared in house therefore the amount is adjusted in scope of PDMC. Also From next year SLIP & SAAP will be prepared by PDMC.				
2	PDMC	16.84	0.00	6.74	2.53	2.53	2.53	2.53
3	Procuring Third Party Independent Review and Monitoring Agency	2.81	0.00	0.14	0.67	0.67	0.67	0.67
4	Publications (e-Newsletter, guidelines, brochures etc.)	2.81	0.00	0.14	0.67	0.67	0.67	0.67
5	Capacity Building and Training - CCBP, if applicable - Others	11.23	0.00	0.56	2.67	2.67	2.67	2.67
6	Reform implementation	5.61	0.00	0.28	2.25	1.68	0.84	0.56
7	Others	5.61	0.00	0.28	1.33	1.33	1.33	1.33
Total		44.90	0.00	8.14	10.10	9.54	8.70	8.42

Plan of Action for Reform Implementation

Table No.	Content
5.1	Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY 2015-16
5.2	Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY 2016-17
5.3	Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY 2017-18
5.4	Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY 2018-19
5.5	Self- Evaluation for Reporting Progress on Reform Implementation

Table 5.1: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2015 - 16						
S. No	Type	Milestones	Implementation timeline	Target to be set by States in SAAP		Remark (Present Status)
				October 2015 to March 2016	April 2016 to Sep 2016	
1	E-Governance	Digital ULBs		Yes		
		1. Creation of ULB website.	6 months	Yes		Partially Achieved ,All 09 ULB having functional website.
		2.Publication of e-newsletter Digital India Initiatives	6 months	Yes		Partially Achieved , All ULBs of Chhattisgarh having centralised e-news letter system.
		3. Support Digital India (ducting to be done on PPP mode or by the ULB itself).	6 months	Yes		With Co-ordination with Chips reform will be achieved within timeline.
2	Constitution and professionalization of municipal cadre	1.Policy for engagement of interns in ULBs and implementation.	12 months		Yes	Partially Achieved.
3	Augmenting double entry accounting	1.Complete migration to double entry accounting system and obtaining an audit certificate to the effect from FY2012-13 onwards.	12 months		Yes	Partially accomplished & to be fully achieved within prescribed timeline.
		2.Publication of annual financial statement on website.	Every year		Yes	Partially accomplished & to be fully achieved within prescribed timeline.

Table 5.1: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2015 - 16

S. No	Type	Milestones	Implementation timeline	Target to be set by States in SAAP	Remark (Present Status)	
4	Urban Planning and City level Plans	1.Preparation of Service Level Improvement Plans (SLIP), State Annual Action Plans (SAAP).	6 months	Yes		Draft SLIP & SAAP prepared.
		2.Make action plan to progressively increase Green cover in cities to 15% in 5 years.	6 months	Yes		To be prepared
		5.Develop at least one Children Park every year in AMRUT cities.	Every Year	Yes		Provision taken in SLIP & SAAP
		6.Establish a system for maintaining of parks, playground and recreational areas relying on People Public Private Partnership (PPPP) model.	12 months		Yes	To be established & Policy for the same in draft stage.
5	Devolution of funds and functions	1.Ensure transfer of 14th FC devolution to ULBs.	6 months	Yes		
		2.Appointment of State Finance Commission (SFC) and making decisions.	12 months		Yes	Partially Achieved
		4.Transfer of all 18 functions to ULBs.	12 months		Yes	Achieved
6	Review of Building by-laws	1. Revision of building bye laws periodically	12 months		Yes	To be achieved in prescribed time line.

Table 5.1: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2015 - 16

S. No	Type	Milestones	Implementation timeline	Target to be set by States in SAAP	Remark (Present Status)
		2.Create single window clearance for all approvals to give building permissions.	12 months	Yes	To be achieved in prescribed time line.
7 (a)	Municipal tax and fees improvement	1.Atleast 90% coverage,	12 months	Yes	Partially Achieved, Online GIS based Property Tax and Building Permission system in place.
		2.Atleast 90% collection,		Yes	To be achieved in precribed time line.
		3.Make a policy to, periodically revise property tax, levy charges and other fees,		Yes	To be achieved in precribed time line.
		4.Post Demand Collection Book (DCB) of tax details on the website,		Yes	Partially Achieved, Online GIS based Property Tax and Building Permission system in place.
		5. Achieve full potential of advertisement revenue by making a policy for destination specific potential having dynamic pricing module.		Yes	To be accomplished as per milestones within prescribed timeline.

Table 5.1: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2015 - 16						
S. No	Type	Milestones	Implementation timeline	Target to be set by States in SAAP		Remark (Present Status)
7 (b)	Improvement in levy and collection of user charges	1.Adopt a policy on user charges for individual and institutional assessments in which a differential rate is charged for water use and adequate safeguards are included to take care of the interests of the vulnerable,	12 months		Yes	To be accomplished as per milestones within prescribed timeline.
		2.Make action plan to reduce water losses to less than 20 % and publish on the website,			Yes	
		3.Separate accounts for user charges,			Yes	
		4.Atleast 90% billing			Yes	
		5.Atleast 90% collection.			Yes	
8	Energy and Water audit	1.Energy (Street lights) and Water Audit (including non-revenue water or losses audit),	12 months		Yes	To be accomplished as per milestones within prescribed timeline.
		2.Making STPs and WTPs more energy efficient,			Yes	To be accomplished as per milestones within prescribed timeline.
		3.Optimize energy consumption in street lights by using energy efficient lights and increasing reliance on renewable energy,			Yes	To be accomplished as per milestones within prescribed timeline.

Table 5.2: SAAP- Reform Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY-2016-17.

S. No	Type	Milestones	Implementation timeline	Target to be set by States in SAAP			
				Oct., 2015 to Mar., 2016	April to Sept., 2016	Oct., 2016 to Mar., 2017	April to Sept., 2017
1	E-Governance	Coverage with E-MAAS (from the date of hosting the software)	24 months				Partially Achieved , To be Accomplished within prescribed timeline
		Registration of Birth, Death and Marriage,					
		Water & Sewerage Charges,					
		Grievance Redressal,					
		Property Tax,					
		Advertisement tax,					
		Issuance of Licenses,					
		Building Permissions,					
		Mutations,					
		Payroll,					
Pension & e-procurement,							

2	Constitution and professionalization of municipal cadre	1. Establishment of municipal cadre.	24 months				Under Process, To be Accomplished within prescribed timeline
		2. Cadre linked training.	24 months				To be Accomplished within prescribed timeline
3	Augmenting double entry accounting	Appointment of internal auditor.	24 months				Partially Completed, To be Accomplished within prescribed timeline
4	Urban Planning and City level Plans	Make a State level policy to implement the parameters given in National Mission for Sustainable Habitat.	24 months				Policy will be formulated within the timelines stipulated under the mission
5	Devolution of funds and functions	Implementation of SFC recommendations within timeline.	24 months				Partially Completed, To be Accomplished within prescribed timeline
6	Review of Building by-laws	1. State to formulate a policy and action plan for having a solar roof top in all buildings having an area greater than 500 square meters and all public buildings.	24 months				Partially Completed, To be Accomplished within prescribed timeline

		2. State to formulate a policy and action plan for having Rain water harvesting structures in all commercial, public buildings and new buildings on plots of 300 sq. meters and above.	24 months				
7	Set-up financial intermediary at state level	Establish and operationalize financial intermediary- pool finance, access external funds, float municipal bonds.	24 months				To be Accomplished within prescribed timeline
8	Credit Rating	1.Complete the credit ratings of the ULBs	24 months				To be Accomplished within prescribed timeline
9	Energy and Water audit	4.Give incentives for green buildings (e.g. rebate in property tax or charges connected to building permission/development charges)	24 months				To be Accomplished within prescribed timeline

Table 5.3: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2017 - 18

S. No	Type	Milestones	Implementation timeline	Target to be set by States in SAAP					
				Oct. 2015 to Mar. 2016	April to Sept. 2016	Oct. 2016 to Mar.2017	April to Sept., 2017	Oct., 2017 to Mar., 2018	April to Sept., 2018
1	E-Governance	1. Personnel Staff management 2. Project management	36 months	To be Accomplished within prescribed timeline					
2	Urban Planning and City level Plans	Establish Urban Development Authorities.	36 months	To be Accomplished within prescribed timeline					
3	Swachh Bharat Mission	1. Elimination of open defecation,	36 months	To be Accomplished within prescribed timeline					
		2. Waste Collection (100%),		To be Accomplished within prescribed timeline					
		3. Transportation of Waste (100%).		To be Accomplished within prescribed timeline					
		4. Scientific Disposal (100%).		To be Accomplished within prescribed timeline					
		5. The state will prepare a policy for Right - Sizing the number of municipal functionaries depending on, say, population of the ULB, generation of internal resources and expenditure on salaries		To be Accomplished within prescribed timeline					

Table 5.4: SAAP - Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY - 2018 - 19

S. No	Type	Milestones	Implementation timeline	Target to be set by States in SAAP							
				Oct., 2015 to Mar., 2016	April to Sept., 2016	Oct., 2016 to Mar.2017	April to Sept. 2017	Oct. 2017 to Mar., 2018	April to Sept., 2018	Oct., 2018 to Mar., 2019	April to Sept., 2019
1	Urban Planning and City level Plans	Preparation of Master Plan using GIS.	48 months	Partially Achieved , To be Accomplished within prescribed timeline							

Annual Capacity Building Plan



Name of State :-CHHATTISGARH **FY 2015-16**

Table 7.1 ULB Level Individual Capacity Development Plan

Form 7.1.1 Physical						
S. No	Name of the Department/ Position	Total number of functionaries (officials/elected representatives) identified at start of Mission (2015)	Numbers trained during last FY(s)	Numbers to be trained during the current FY	Name(s) of Training Institute for training during the current FY	Cumulative numbers trained after completion of current FY.
1	Elected Representatives	525	0	60	1. State Administrative Academy. 2. State will issue EoI for empanelment of other Training Partners.	NIL
2	Finance Department	64	0	16		
3	Engineering Department	272	0	35		
4	Town planning Department	35	0	5		
5	Administration Department	261	0	33		
	TOTAL	1157	0	149		

Form 7.1.2 Financial					
					in Rs Lacs
S. No	Name of the Department	Cumulative funds released upto current FY	Total expenditure upto current FY	Unspent funds available from earlier releases	Funds required for the current FY to train the number given in Form 7.1.1
1	Elected Representatives	0.00	0.00	0.00	3.30
2	Finance Department	0.00	0.00	0.00	0.88
3	Engineering Department	0.00	0.00	0.00	1.93
4	Town planning Department	0.00	0.00	0.00	0.28
5	Administration Department	0.00	0.00	0.00	1.82
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	8.20

Table 7.2 Annual Action Plan for Capacity Building

Name of State		CHHATTISGARH								
Number of Mission cities in AMRUT		9								
FY		2015-2016								
Form 7.2.1 Fund requirement for Individual Capacity Building at ULB level										
S. No	Name of the ULB	Total numbers to be trained in the current FY department wise						Name of the training institution (s) identified	Number of training programmes to be conducted	Funds required in current FY
		Elected Representative	Finance Dept.	Engineering Dept.	Town planning Dept.	Administration Dept.	Total			
										in Rs Lacs
1	RAIPUR	70	15	120	20	50	275	1. State Administrative Academy has been identified for training partner. 2. State will issue EoI for empanelment of other Training Partners.	5 batches of 30 participants each	8.20
2	BILASPUR	66	10	24	5	16	121			
3	BHILAI	67	12	40	10	50	179			
4	DURG	60	4	19	0	10	93			
5	RAJNANDGAON	51	3	9	0	40	103			
6	KORBA	67	8	40	0	50	165			
7	RAIGARH	48	5	5	0	25	83			
8	AMBIKAPUR	48	4	9	0	14	75			
9	JAGDALPUR	48	3	6	0	6	63			
TOTAL		525	64	272	35	261	1157			

Form 7.2.2 Fund requirement for State level activities

in Rs Lacs

S. No	State level activity	Cumulative funds released up to current FY	Total expenditure up to current FY	Unspent funds available from earlier releases	Funds required for the current FY
1	RPMC	0.00	0.00	0.00	42.90
	SRPMC/SMMU	0.00	0.00	0.00	9.90
	CRPMC/CMMU	0.00	0.00	0.00	33.00
2	UMC	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Others (Workshops, seminars etc.) which are approved by NIUA	0.00	0.00	0.00	3.50
4	Institutional	0.00	0.00	0.00	1.50
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	47.90

Form 7.2.3 Total Fund requirement for Capacity Building

S. No	Funds Requirements	Individual	Institutional	RPMC & UMC	Others	Total
1	Total release since start of Mission (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Total utilized – Centre share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Balance available- Centre share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Amount required – Centre share	4.10	0.75	21.45	1.75	28.05
5	Total funds required for capacity building in current FY	8.20	1.50	42.90	3.50	56.10

Form 7.2.4 Details of Institutional Capacity Building

a. Is the State willing to revise their town planning laws and rules to include land pooling?

Yes, required revisions are partially completed, detailed revision will be completed within reform implementation timeline.

b. List of ULBs willing to have a credit rating done as the first step to issue bonds?

ULBs and state are willing for Credit rating of ULBs. Rating will be completed within reform implementation timeline.

c. Is the State willing to integrate all work done in GIS in order to make GIS useful for decision-making in ULBs?

Yes, State completed GIS mapping of all mission cities under GIS based PTIS and BPMS project. State is exploring projects for GIS based decision making process.

d. Is the State willing to take assistance for using land as a fiscal tool in ULBs?

Yes, State is exploring fiscal tool for ULBs.

e. Does the State require assistance to professionalize the municipal cadre?

Yes. The State is willing to establish an Institute of Governance and Urban Management to impart training and support department and ULBs in Research and Policy analysis. It needs support from Gol.

f. Does the State require assistance to reduce non-revenue water in ULBs?

Yes. State is willing to conduct study and introduce project in NRW sector. It needs support from Gol.

g. Does the State require assistance to improve property tax assessment and collections in ULBs?

Yes. State partially completed the GIS based Property Tax Project in mission cities. For proper implementation of this project state needs support from Gol.

h. Does the State require assistance to establish a financial intermediary?

Yes.

i. Any other capacity assistance to implement the AMRUT Reform Agenda as set out in these Guidelines?

Yes, details shall be furnished by Dec-2015.

Section 6

Citizen & Stakeholders Consultation



Citython : Ward Level Citizen Consultation





Citython : Ward Level Citizen Consultation



कार्यालय सांसद लोकसभा रायपुर

विषय :- निकास में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लॉन (SLIP) के संबंध में।

संदर्भ :- आयुक्त नगर निगम रायपुर का पत्र क./8049/दिनांक 06.10.2015।


मिशन हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय, सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत राशि रु. 688.68 करोड़ तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पेय जल प्रदाय :- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रु. 147.60 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, रायपुर में वर्तमान में जुड़े 07 गांवों एवं छोटे स्थलों में नई पाईप लाईन, स्मार्ट मीटर एवं पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु स्काडा सॉफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
2. सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट - अंडरग्राउंड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रु. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, रायपुर में संपूर्ण क्षेत्र में सीवरेज कार्य हेतु 04 जोन में डी.पी.आर. तैयार किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण अंतर्गत केवल 02 जोन में डी.पी.आर. के अनुसार राशि रु. 516.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. हरित स्थल एवं पार्क :- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रु. 12.00 करोड़ की प्रावधान किया गया है।
4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :- मिशन अमृत के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले REFORM समय सीमा में पूर्ण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 3.39 करोड़ आगामी वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार

कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण HPSC द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

उपरोक्त क्रमांक- 01 से 03 के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान 33 प्रतिशत तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 67 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय का अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 27 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है,

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम रायपुर द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।


रमेश बैस
सांसद
लोक सभा रायपुर



कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

विकास भवन नेहरू चौक, बिलासपुर

फोन नं. 07752-222642 फेक्स नं. 07752-413888



Email- commissionerbilaspur@yahoo.com website-www.bmcbilaspur.com

योजना का संक्षिप्त विवरण


विषय :- नगर निगम बिलासपुर द्वारा मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।


मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 278.71 करोड रूपये तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

- 1. पेयजल प्रदाय** – पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रूपये 245.53 करोड रूपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतराष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये खारंग जलाशय (खुटाघाट) के पास इन्टेक वेल कम पम्प हाउस का निर्माण कर 1200 एमएम व्यास (लंबाई 39.21 कि.मी.) के डीआई पाईप के माध्यम से पेयजल प्राप्त होगा। 77 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र दोमुहानी बैलेसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पंपिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग लंबाई 35.12 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्यों की मानिट्रिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
- 2. सीवरेज** – सीवरेज की वर्तमान चलित योजना के पूर्ण होने पर 40000 घरों को सीवरेज की सुविधा प्राप्त होगी। वर्ष 2021 की डिमांड के अनुसार कुल 55000 घरों को कनेक्शन प्रदान किया जाना होगा, जिसके लिए 14.15 कि.मी. सीवरेज पाईप लाईन एवं 15000 प्रापर्टी चेम्बर कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इस हेतु राशि रू. 16.32 करोड का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की समयसीमा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 निर्धारित की गई।

3. सेप्टेज मैनेजमेंट - अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिये सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रूपये 5.47 करोड का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 2 नग सीवरेज सक्शन एवं जेटिंग मशीन 9000 लीटर क्षमता एवं 3 नग जेटिंग मशीन 500 लीटर क्षमता के साथ-साथ कुछ कॉलोनी जिनका ग्राउंड लेवल नीचे है अनुमानित आवासों की संख्या 2720 है, सीवरेज से जुड़ना संभव नहीं है, जिनमें सेप्टिक टैंक के स्थान पर बायोडायजेस्टर का प्रावधान किया गया है।
4. हरित स्थल एवं पार्क - नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रूपये 8.00 करोड की परियोजना सम्मिलित की गई है।
5. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि - मिशन अमृत को दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इस सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रूपये 3.39 करोड आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित हैं। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

अनुशंसित


लखन लाल साह
 सांसद
 लोकसभा क्षेत्र, बिलासपुर (छ.ग.)


 कार्यपालन अभियंता
 नोडल अधिकारी, अमृत मिशन
 नगर पालिक निगम
 बिलासपुर (छ.ग.)

ताम्रध्वज साहू

सांसद

लोकसभा, दुर्ग (छ.ग.)



सत्यमेव जयते

सदस्य : कोयला एवं इस्पात स्थायी समिति

सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति

सदस्य : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
परामर्शदात्री समिति

सदस्य : कांग्रेस संसदीय दल कार्यकारिणी समिति,

नई दिल्ली
पत्र क्र. 1383/सांसद/दुर्ग
दिनांक 10/10/2015

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

संदर्भ:- महापौर नगर निगम दुर्ग पत्र क्र./314/ दिनांक 07/10/2015।

मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रवधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 67.73 करोड़ रु तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1. पेयजल प्रदाय-** पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 47.43 करोड़ का प्रवधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानको (135 प्रति व्यक्ति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रवधान किया गया है।
- 2. सेप्टेज मैनेजमेंट-** अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए प्रथम धरण में राशि 15.00 करोड़ रु. का प्रवधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर कय किये जाने का प्रवधान है। नगर के समस्त सैप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, मल गाद प्रवधन, परिवहन एवं शोधन तथा सीवर और सैप्टिक टैंको की सफाई एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत किया जाना सम्मिलित है।
- 3. हरित स्थल एवं पार्क-** नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रवधान के साथ हरित स्थल एवं पार्को का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

नई दिल्ली : 102, कावेरी अपार्टमेंट्स, डॉ. विशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 दूरभाष : 011-23321476,
दुर्ग : मीनाक्षी नगर, बोरसी रोड (छ.ग.) - 491001 दूरभाष : 0788-2323999 Email : loksabhadurg14@gmail.com

ताम्रध्वज साहू

सांसद

लोकसभा, दुर्ग (छ.ग.)



सत्यमेव जयते

सदस्य : कोषालय एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर स्तम्भित

सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति

सदस्य : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

परामर्शदात्री समिति

सदस्य : कांग्रेस संसदीय दल कार्यकारिणी समिति,
नई दिल्ली

पत्र क्र. :

दिनांक :

4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि-** मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जायेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।


उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम दुर्ग के प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

प्रति,

महापीर
नगर पालिक निगम
दुर्ग, जिला दुर्ग

भवदीय


ताम्रध्वज साहू
सांसद
दुर्ग लोकसभा

नई दिल्ली
दुर्ग

102, कावेरी अपार्टमेंट्स, डॉ. विशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 दूरभाष : 011-23321476,
मीनाक्षी नगर, बोरसी रोड (छ.ग.) - 491001 दूरभाष : 0788-2323999 Email : loksabhadurg14@gmail.com



विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के
कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

संदर्भ:- महापौर नगर निगम दुर्ग पत्र क्र./314/ दिनांक 07/10/2015।

मिशन अमृत के दिशा-निदेशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के
अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के
लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय
एवं सीवरेंज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा
प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रवधान किया गया है। SLIP में
सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 67.73 करोड़ रु तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का
विवरण निम्नानुसार है:-

1. **पेयजल प्रदाय-** पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 47.43 करोड़ का प्रवधान सम्मिलित
किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में
अंतर्राष्ट्रीय मानको (135 प्रति व्यक्ति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध
कराये जाने का प्रवधान किया गया है।
2. **सेप्टेज मैनेजमेंट-** अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक
सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज
मैनेजमेंट के लिए प्रथम चरण में राशि 15.00 करोड़ रु. का प्रवधान किया गया है।
इस घटक के अंतर्गत सीवरेंज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित
सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर कय किये जाने का प्रवधान है। नगर के समस्त
सैप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, मल गाद प्रबंधन, परिवहन एवं शोधन तथा सीवर
और सैप्टिक टैंको की सफाई एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत किया जाना
सम्मिलित है।
3. **हरित स्थल एवं पार्क-** नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं
बच्चों के लिए विशेष प्रवधान के साथ हरित स्थल एवं पार्को का निर्माण किया
जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

ताम्रध्वज साहू

सांसद

लोकसभा, दुर्ग (छ.ग.)



सत्यमेव जयते

सदस्य : कोयला एवं इस्पात स्थायी समिति

सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति

सदस्य : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
परामर्शदात्री समिति

सदस्य : कांग्रेस संसदीय दल कार्यकारिणी समिति,
नई दिल्ली

पत्र क्र. :

दिनांक :

4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि**— मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।


उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम दुर्ग के प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

प्रति,

महापौर
नगर पालिक निगम
दुर्ग, जिला दुर्ग

भवदीय


ताम्रध्वज साहू
सांसद
दुर्ग लोकसभा

डॉ. बंशीलाल महतो

संसद सदस्य

(लोक सभा)

कोरबा (छत्तीसगढ़)



चांपा रोड, मुख्य मार्ग, सीतामणी,

कोरबा-495 678, छत्तीसगढ़

दूरभाष : 07759-248999

मोबाइल: 09425532400

89, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110 001

दूरभाष : 011-23094730

मोबाइल: 09013869102

ई-मेल: banshilal.mahto@sansad.nic.in

mahtobanshilal@gmail.com

सदस्य:

- कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति
- अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

क्रमांक सां/कोरबा/2015/895

दिनांक 09/10/2015

- विषय :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।
- संदर्भ :- आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा का पत्र क्र./योजना/न.पा.नि./2015/17799 कोरबा दिनांक 07.10.2015

—00—

अमृत मिशन हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरियता के कार्यों क्रमशः जलप्रदाय में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज), सेप्टेज मैनेजमेंट एवं प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 307.99 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **जल आर्वाधन योजना फेस 2**- नगर पालिक निगम के वार्ड 43 से वार्ड क्रं. 67 तक पश्चिम कोरबा में सतही जल से पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 284.69 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए हसदेव नदी में एनीकट निर्माण, इंटेकवेल निर्माण, 14 ओवरहेड टैंक, 29 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 300 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मानिट्रिंग हेतु स्काड़ा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
2. **सेप्टेज मैनेजमेंट**- अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 18.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 03 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम एम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंको को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।
3. **हरित स्थल एवं पार्क**- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।
4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि**- मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी।


सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अन्तर्गत नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

सदर प्रतिश्रुति


COMMISSIONER,
Municipal Corporation, Korba
Distt. - KORBA (C. G.)


(डॉ. बंशीलाल महतो)

कमलभान सिंह मरावी

संसद सदस्य (लोक सभा)

सरगुजा - छत्तीसगढ़

अध्यक्ष :

• भारतीय खाद्य निगम परामर्शदात्री समिति (छत्तीसगढ़)

सदस्य :

• रेल अभिसमय समिति

• रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

• जनजातीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समिति



सत्यमेव जयते

सिचाई कालोनी,
मेरीन ड्राइव के पास,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

ग्राम एवं पोस्ट जमगला विकास खण्ड,
लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
फोन : 09425254386

विषय :- मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक 2498/लोनिवि/नपानि/2015-16 अम्बिकापुर दिनांक 09.10.2015

—0—

भारत सरकार के "मिशन अमृत" (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा पेयजल, सेप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं उद्यान निर्माण के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार कार्यक्रम के अनुपालन हेतु निम्नानुसार सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है :-

पेयजल आपूर्ति - नगरीय क्षेत्र में मिशन के मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति के कार्य हेतु कुल राशि रुपये 46.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय भवनों में स्मार्ट मीटर युक्त नल संयोजन, निर्धारित मानक अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता 100 प्रतिशत स्तर तक सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु घुनघुट्टा डेम के आरबीसी जगदीशपुर में कनाल इंटेकवेल का निर्माण करते हुए 13.5 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना, 04 नग उच्च स्तरीय जलागारों का निर्माण, पाईप लाइन विस्तार, जल शोधन संयंत्र हेतु पावर स्टेशन का निर्माण, पेयजल की गुणवत्ता एवं प्रबंधन कार्य हेतु स्काडा प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रावधान SLIP में रखा गया है।


सेप्टेज मैनेजमेंट - भूजल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने हेतु निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार एवं पुनर्चक्रीकरण कार्य हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ का प्रावधान मिशन के SLIP में किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा कार्य हेतु आवश्यक मशीनरियों का क्रय किया जाना प्रावधानित है। सेप्टेज मैनेजमेंट कार्य के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक सेप्टिक टैंक को अधिकतम दो वर्ष में सफाई किये जाने एवं इस कार्य हेतु एकत्रित सीवेज का विधिवत् उपचार एवं पुनर्चक्रीकरण का कार्य किया जाना सम्मिलित है।

हरित स्थल एवं उद्यान - नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण स्तर को कम किये जाने के मूल उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में हरित स्थल एवं उद्यानों के विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत इस कार्य हेतु राशि रुपये 4.30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर हरित स्थल एवं सर्वसुविधा युक्त उद्यानों का निर्माण जिसमें अहाता/फेसिंग, फुटपाथ, खेल उपकरण, व्यायाम उपकरण, प्रसाधन, पेयजल, कैटिन आदि का यथोचित प्रावधान रखा गया है।

सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि - अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले सुधार कार्यक्रमों का समय-सीमा में निकाय द्वारा पूर्ण की जावेगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु योजनान्तर्गत राशि रुपये 1.00 करोड़ का प्रावधान आगामी तीन वर्षों हेतु रखा गया है। योजना के सुधार कार्यक्रमों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार मिशन अमृत के सम्मिलित घटकों के अन्तर्गत यह राशि आबंटित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार पेयजल आपूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट एवं हरित स्थल तथा उद्यान निर्माण कार्य में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत का अंशदान भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत अंशदान राज्य शासन/नगरीय निकाय द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान मिशन अन्तर्गत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि राज्य शासन/निकाय अंशदान के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा पेयजल, सेप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं उद्यानों के निर्माण तथा शासन द्वारा निर्धारित सुधार कार्यक्रमों के अनुपालन हेतु तैयार किये गये SLIP राशि रुपये 57.46 करोड़ के स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।


(कमलमोहन सिंह मरावी)
सांसद, सरगुजा

अभिषेक सिंह
संसद सदस्य (लोक सभा)
राजनांदगांव, छत्तीसगढ़



सांसद कार्यालय:
भाजपा जिला कार्यालय के सामने
जी.ई. रोड, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)-491441
ई-मेल: me@abhisheksinghbjp.in
मोबाइल: 094790 94790
दूरभाष : 07744 221444
फैक्स : 07744 221441

सदस्य:

- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
- परामर्शदात्री समिति - मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

क्रमांक 2568

दिनांक 8-10-15

प्रति,

✓ आयुक्त
नगर पालिक निगम
राजनांदगांव

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) कियान्वयन हेतु सर्विस लेबल इम्पुवमेंट प्लान(SLIP) के संबंध में।


संदर्भ:- अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर के पत्रक क्रमांक 9/सूडा/अमृत/2015/2578 दिनांक 06.10.2015

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निकाय द्वारा सर्विस लेबल इम्पुवमेंट प्लान(SLIP) कुल रु.98.13 करोड़ घटक में (1) पेयजल प्रदाय अंतर्गत रु.80.83 करोड़ (2) सेप्टेज मैनेजमेंट रु. 12.00 करोड़ (3) हरित स्थल एवं पार्क रु.4.30 करोड़ (4) सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि रु.1.00 करोड़ तैयार कर अनुशंसा हेतु प्राप्त हुआ है।

अतः (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) कियान्वयन हेतु सर्विस लेबल इम्पुवमेंट प्लान(SLIP) की अनुशंसा की जाती है।

24/10/15



भवदीय

ASINDA
(अभिषेक सिंह)



पत्र क्रमांक 752/एम.ओ.एस/इस्पात. खान/2015/ बगिया

08 अक्टूबर, 2015

प्रति,

माननीय श्री वैकेया नायडु जी,
शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

संदर्भ :- आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ का पत्र क्र. 1281/लो.क.वि./न.पा.नि./2015
रायगढ़ दिनांक 07.10.2015

—00—

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 111.74 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पेयजल प्रदाय - पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 96.44 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए केलो नदी में एनीकट निर्माण, इंटेकवेल निर्माण, 10 ओव्हरहेड टैंक, 23.26 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 183 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मानिट्रिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
2. सेप्टेज मैनेजमेंट - अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 10.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का

निर्माण तथा समुचित सक्षन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाता सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड रू. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड रू. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर **SLIP** कर प्रारूप तैयार किया गया है। उपरोक्तानुसार अमृत मिशन अंतर्गत नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

सादर,

भवदीय

(विष्णुदेव साय) 3/10/2015



क्रमांक1567/2015

दिनांक 14/10/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
राज्य शहरी विकास अभिकरण
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:- नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा तैयार कार्ययोजना अमृत मिशन के तहत स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर द्वारा भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) के प्रावधानों तथा निकाय द्वारा सामान्य सभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुरूप जगदलपुर नगर पालिक निगम में पेयजल प्रदाय, सेप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं पार्क सहित सुधार कार्यक्रम एवं सुधार हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

जगदलपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र जगदलपुर में कार्यो की आवश्यकता तथा विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखकर, आयुक्त नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा प्रेषित कार्ययोजना स्वीकृति हेतु एतद् द्वारा अनुशंसा करता हूँ ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न: आयुक्त नगरपालिक निगम
जगदलपुर का पत्र मूलतः


(दिनेश कश्यप)

प्रति,



क्रमांक 1591/2015

दिनांक 10.10.2015

प्रति

मुख्य कार्यालयन अधिकारी
राज्य शहरी विकास अभिकरण
रथपुर (दिल्लीराज्य)

विषय

नगरपालिका निगम जगदलपुर द्वारा जैवान कार्याजना जन्तु नियंत्रण क तदत
स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

आयुक्त नगरपालिका निगम, जगदलपुर द्वारा जगदलपुर शहरी विकास
अभिकरण द्वारा घोषित जल नवीनीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन (जन्तु नियंत्रण) के
प्रकारणों तथा विधाय द्वारा सामान्य सभा में सर्वसम्मति से प्रारित करण के अनुसार
जगदलपुर नगर पालिका निगम में पेयजल प्रदाय, सेप्टेज मैनेजमेंट इल्ट स्ट्रक्चर एवं पार्क
वर्किंग सुधार कार्यक्रम एवं सुधार हेतु प्रस्ताहन राशि कुल ~~₹ 84.00~~ ₹ 84.00
₹ 84.00 में प्रस्ताव घोषित किया गया है ।

जगदलपुर नगरपालिका निगम क्षेत्र जगदलपुर में जगदलपुर की आवश्यकता तथा
नियंत्रण की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर, आयुक्त नगरपालिका निगम जगदलपुर द्वारा
श्रेष्ठिक कार्याजना स्वीकृति हेतु एतद द्वारा अनुरासा करता हूँ ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

आयुक्त नगरपालिका निगम
जगदलपुर का पत्र मूलतः

(दिनेश कश्यप)



Citython : Ward Level Citizen Consultation





महापौर परिषद संकल्प

विषय - निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्पुमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

—00—

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 21.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क.02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्पुमेंट प्लॉन (SLIP) तैयार किया गया है। मिशन हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय, सीवरेज मैनेजमेंट में संवाग व्याप्ति (यूनिर्वसल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। (SLIP) में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत राशि रु. 688.68 करोड़ तथा (SLIP) में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) पेय जल प्रदाय :- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रु. 147.60 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम रायपुर में वर्तमान में जुड़े 07 गांवों एवं छोटे स्थलों में नई पाईप लाईन, स्मार्ट मीटर एवं पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

(2) सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट :- अंडर ग्राउंड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए राशि रु. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, रायपुर में संपूर्ण क्षेत्र में सीवरेज कार्य हेतु 04 जोन में डी.पी.आर तैयार किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण अंतर्गत केवल 02 जोन में डी.पी.आर के अनुसार राशि रु. 516.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(3) हरित स्थल एवं पार्क :- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रू. 12.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(4) सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :- मिशन अमृत के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले (REFORM) समय सीमा में पूर्ण किये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 3.39 करोड़ आगामी वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के (SAAP) में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण (HPSC) द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 03 के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान 33 प्रतिशत तथा राज्यशासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 67 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय का अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएवं प्रकरण में राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 27 प्रतिशत मानकर (SLIP) का प्रारूप तैयार किया गया है। उक्त प्रकरण को मेयर इन काउंसिल की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुशंसा की जाती है।



महापौर
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 09/10/15 अतिरिक्त प्रस्ताव क्र. 01

विषय :- निकाय में मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में ।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 22/07/2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देश के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था । मिशन अमृत के दिशा निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुये मिशन अवधि के लिये Service Level Improvement Plan (SLIP) तैयार किया गया है ।

मिशन हेतु SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज / सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है । SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 278.71 करोड़ रुपये तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

01. पेयजल प्रदाय :- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रु. 245.53 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है । इसके लिए खारंग जलाशय (खुटाघाट) के पास इन्टेक वेल कम पम्प हाउस का निर्माण कर 1200 एम एम व्यास (लंबाई 39.21 कि.मी.) के डी आई पाईप के माध्यम से पेयजल प्राप्त होगा । 77 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र दोमुहानी बैलेसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पंपिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग लंबाई 35.12 कि.मी) का प्रावधान किया गया है । पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्य की मानिटोरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है ।

02. सीवरेज :- सीवरेज की वर्तमान चलित योजना के पूर्ण होने पर 40000 घरों को सीवरेज की सुविधा प्राप्त होगी । वर्ष 2021 की डिमांड के अनुसार कुल 55000 घरों को कनेक्शन प्रदान किया जाना होगा, जिसके लिए 14.15 कि.मी. सीवरेज पाईप लाईन एवं 15000 प्रापर्टी चेम्बर कनेक्शन की आवश्यकता होगी । इस हेतु राशि रु. 16.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है । कार्य पूर्ण करने की समय सीमा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 निर्धारित की गई ।

03. सेप्टेज मैनेजमेंट :- अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/ सार्वजनिक /सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिये सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रु. 5.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस घटक के अंतर्गत 02 नग सीवरेज सक्शन एवं जेटिंग मशीन 9000 लीटर क्षमता एवं 03 नग जेटिंग मशीन 500 लीटर क्षमता के साथ-साथ कुछ कॉलोनी जिनका ग्राउण्ड लेवल नीचे है अनुमानित आवासों की संख्या 2720 है, सीवरेज से जुड़ना संभव नहीं है, जिनमें सेप्टिक टैंक के स्थान पर बायोडायजेस्टर का प्रावधान किया गया है ।

04. हरित स्थल एवं पार्क :- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है । जिस हेतु राशि रु. 8.00 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की गई है ।

05. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :- मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है । निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी । इस सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रु. 3.39 करोड़ आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है । इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है । प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी ।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है । मिशन के दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किंतु राज्य सरकार शासन एवं नगरीय निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है । उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

आयुक्त

निर्णय :- सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए सक्षम स्वीकृति हेतु यह प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुशंसा की जाती है ।

Kishor Rai
महापौर,
नगर पालिक निगम,
बिलासपुर (छ.ग.)

USA
निगम सचिव,
नगर पालिक निगम,
बिलासपुर (छ.ग.)

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय ,नगर पालिक निगम गिलाई

प्रस्ताव क्रमांक-03

दिनांक 09.10.2015

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नदीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 17/07/2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नदीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रवधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 256.41 करोड़ रु तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **पेयजल प्रदाय**— पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 231.11 करोड़ का प्रवधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानको (135 पति व्यक्ति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रवधान किया गया है। इसके लिए रॉ वाटर पंप, सब स्टेशन, एनीकटवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (66 एमएलडी), रॉ वाटर राइजिंग, लगभग 110 किलोमीटर का वितरण प्रणाली, ओवरहेड टैंक, क्लीयर वाटर सम्प, क्लीयर वाटर पंपिंग मेन एवं पीएलसी स्काडा प्रणाली का निर्माण किये जाने का प्रवधान है।
2. **सेप्टेज मैनेजमेंट**— अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए प्रथम घरण में राशि 20.00 करोड़ रु. का प्रवधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/ वैक्यूम इम्पटीयर कय किये जाने का प्रवधान है। नगर के समस्त सैप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, मल गाद प्रबंधन, परिवहन एवं शोधन तथा सीवर और सैप्टिक टैंकों की सफाई एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत किया जाना सम्मिलित है।
3. **हरित स्थल एवं पार्क**— नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रवधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है। इसके लिए प्रियदर्शनी परिसर एमुजमेंट पार्क, बोटानिकल गार्डन, ग्रीन बेल्ट, 48 नग हाउसिंग एरिया (एचएपी) एवं लीनियर पार्कों का निर्माण किया जाना सम्मिलित है।
4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि**— मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

क्रमशः2/-






उपरोक्त क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प:- महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन का अंशदान 30 प्रतिशत एवं निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाने तथा प्रकरण सामान्य सभा की बैठक में सूचनार्थ रखे जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया।



सन्दीप
नगर पालिक निगम
मिलाई



महापौर
नगर पालिक निगम
मिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग छत्तीसगढ़

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 07.10.2015

प्रस्ताव क्रमांक :- 01

विषय :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में ।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था । मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है ।


मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है । साथ ही रिफार्म लागू किए जाने का भी प्रावधान किया गया है । SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 67.73 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. पेयजल प्रदाय – पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 47.43 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है जिसमें प्रचलित योजना द्वितीय फेस जल आवर्धन के उपरांत शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने प्रावधानित किया गया है । वर्तमान में मानक अनुसार प्रतिव्यक्ति जल प्रदाय 135 ली. प्रतिदिवस के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है । कवरेज 53.2 प्रतिशत से 100 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचाया जाना है । योजना में कुल सात कार्य शामिल किया गया है । जिसमें विभिन्न वार्डों को सम्मिलित करते हुए जोन 01 से जोन 03 तक डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन स्थापित किया जाना है । ओ. एण्ड एम. के लक्ष्य तक पहुंचने हेतु स्काडा वाल्व आपरेशन का प्रावधान किया गया है । पुलगांव वार्ड हेतु पृथक से फिल्टर प्लांट एवं ओव्हर हेड टैंक का प्रावधान किया गया है । साथ ही प्रत्येक कनेक्शन को मीटरिंग करने का प्रावधान किया गया है । प्रत्येक घर तक नये कनेक्शन हेतु पाईप लाईन विस्तार का प्रावधान किया गया है ।
2. सेप्टेज मैनेजमेंट – अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 15.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । इस योजना में 30 एमएलडी का सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्व किये जाने का प्रावधान है । नगर के समस्त सेप्टिक टैंकों को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचार किया जाना प्रावधानित है ।

3. हरित स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है ।
4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं । निकाय यस्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी । इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है । इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्ष SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है । प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी ।


उपरोक्त क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय का अंशदान 50 प्रतिशत है । मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है ।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।


आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

मंतव्य :- प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत ।


सचिव
नगर पालिक निगम, दुर्ग


महापौर एवं अध्यक्ष
मेयर इन काउंसिल
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / /नि.कार्या./2015

दुर्ग, दिनांक 07.10.2015

प्रतिलिपि:- आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित ।


सचिव,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

कार्यालय महापौर, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 08/10/2015 में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि

विषय-1 निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेबल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में विचारार्थ।

संकल्प:- विभागीय नस्ती का अवलोकन किया गया। विभागीय प्रतिवेदन एवं संक्षेपिका अनुसार सामान्य सभा की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेबल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों के जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास प्रावधान किया गया है। (SLIP) में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत रु. 98.13 करोड़ तथा (SLIP) में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पेयजल प्रदाय:- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 80.83 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन, स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृह में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 04 एमएलडी क्षमता के 02 नग ओव्हर हेड टैंक निर्माण कार्य, मोहारा जल संयंत्र गृह में 10 एम.एल.डी.से 27 एमएलडी प्लांट का इंटरलिंग्किंग कार्य, विभिन्न वार्डों में 266 कि.मी. वितरण पाईप लाईन विस्तार कार्य का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्यों की मानिट्रिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर किये जाने का प्रावधान है।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट:- अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए राशि रु. 12.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तथा सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर कय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना प्रस्तावित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क:- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु रु. 4.30 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की गई है।

कमश: 2 पर...


6-10-15

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि:- मिशन अमृत के दिशा निर्देशों अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण कराने हेतु रू.1.00 करोड़ अगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

कौंसिल की यह सभा सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार क्रमांक 01 से 03 तक घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है एवं प्रकरण राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा इस निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर (SLIP) प्रारूप तैयार कर शासन को भेजे जाने की अनुशंसा करती है।

सही/-

(देवेन्द्र सोनी)

सचिव, महापौर परिषद्

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

पृ०क०।५५ सचिव / 15

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
3. प्र.अधिकारी लोककर्म, विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-

(मधुसूदन यादव)

महापौर

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

राजनांदगांव दिनांक ०४/10/2015



सचिव कृ-10-15

महापौर परिषद्

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा छत्तीसगढ़

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 08.10.2015

प्रस्ताव क्रमांक :- 176..

विषय :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्ताव क्रमांक 18 में भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों का सम्मिलित करते हुये मिशन अवधि के सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान SLIP तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। साथ ही रिफार्म लागू किये जाने का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 307.99 करोड़ रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. जल आर्वाधन योजना फेस 2 :-

नगर पालिक निगम के वार्ड 43 से वार्ड 67 तक पश्चिम कोरबा में सतही जल से पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 284.69 करोड़ रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए हसदेव नदी में एनीकट निर्माण, इंटेकवेल निर्माण, 14 ओव्हरहेड टैंक, 29 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रेजर्वायर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 300 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मोनिटरिंग हेतु स्काड़ा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट :-

अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 18.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 03 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (ST P) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम एम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंको को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (ST P) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क :-

नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।


क्रमशः-02

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :-

मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय संक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है। प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार मिशन अमृत के अन्तर्गत तैयार की गई SLIP महापौर परिषद, नगर पालिक निगम, कोरबा के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।



आयुक्त

नगर पालिक निगम, कोरबा

मंतव्य :- प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत।



सचिव

नगर पालिक निगम, कोरबा

Renu Agrawal

महापौर एवं अध्यक्ष


मेयर इन काउंसिल

नगर पालिक निगम, कोरबा

पृष्ठा.क्र./27762/सचिव कार्या./2015
प्रतिलिपि :-

कोरबा, दिनांक 08.10.2015

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।



सचिव

नगर पालिक निगम, कोरबा

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 09.10.2015

प्रस्ताव क्रमांक - 01

विषय :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

नगर पालिक निगम के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 20.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 111.74 करोड रु. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पेयजल प्रदाय - पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 96.44 करोड रु. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए केलो नदी में एनीकट निर्माण, इंटेकवेल निर्माण, 10 ओव्हरहेड टैंक, 23.26 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 183 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मानिट्रिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट - अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 10.00 करोड रु. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्षम यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राशि 4:30 करोड़ रु. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रु. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP कर प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

संकल्प :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।



महापौर
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय महापौर नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)
मेयर-इन-कौंसिल की बैठक दिनांक 08.10.2015

निर्णय क्रमांक 09

विषय क्र.(09) निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :- नगर पालिक निगम के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 16.07.2015 के निर्णय क्रमांक 01 द्वारा भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया है। मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज) प्राप्त करने हेतु तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं उद्यान के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत रुपये 57.46 करोड़ तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

पेयजल आपूर्ति - नगरीय क्षेत्र में मिशन के मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति के कार्य हेतु कुल राशि रुपये 46.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय भवनों में स्मार्ट मीटर युक्त नल संयोजन, निर्धारित मानक अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता 100 प्रतिशत स्तर तक सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु घुनघुट्टा डेम के आरबीसी जगदीशपुर में कनाल इंटेकवेल का निर्माण करते हुए 13.5 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना, 04 नग उच्च स्तरीय जलागारों का निर्माण, पाईप लाईन विस्तार, जल शोधन संयंत्र हेतु पावर स्टेशन का निर्माण, पेयजल की गुणवत्ता एवं प्रबंधन कार्य हेतु स्काडा प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रावधान SLIP में रखा गया है।

a

सेप्टेज मैनेजमेंट - भूजल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने हेतु निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार एवं पुनर्चक्रीकरण कार्य हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ का प्रावधान मिशन के SLIP में किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा कार्य हेतु आवश्यक मशीनरियों का क्रय किया जाना प्रावधानित है। सेप्टेज मैनेजमेंट कार्य के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक सेप्टिक टैंक को अधिकतम दो वर्ष में सफाई किये जाने एवं इस कार्य हेतु एकत्रित सीवेज का विधिवत् उपचार एवं पुनर्चक्रीकरण का कार्य किया जाना सम्मिलित है।

हरित स्थल एवं उद्यान - नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण स्तर को कम किये जाने के मूल उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में हरित स्थल एवं उद्यानों के विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत इस कार्य हेतु राशि रुपये 4.30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर हरित स्थल एवं सर्वसुविधा युक्त उद्यानों का निर्माण जिसमें आहाता/फेसिंग, फुटपाथ, खेल उपकरण, व्यायाम उपकरण, प्रसाधन, पेयजल, कैटिन आदि का यथोचित प्रावधान रखा गया है।


सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि - अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले सुधार कार्यक्रम समय-सीमा में निकाय द्वारा पूर्ण की जावेगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु योजनान्तर्गत राशि रुपये 1.00 करोड़ का प्रावधान आगामी तीन वर्षों हेतु रखा गया है। योजना के सुधार कार्यक्रमों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार मिशन अमृत के सम्मिलित घटकों के अन्तर्गत यह राशि आवंटित की जावेगी।


उपरोक्तानुसार पेयजल आपूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट एवं हरित स्थल तथा उद्यान निर्माण कार्य में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत अंशदान राज्य शासन/नगरीय निकाय द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान मिशन अन्तर्गत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के

अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि राज्य शासन/निकाय अंशदान के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

मिशन अमृत अन्तर्गत वर्ष 2015-16 हेतु उपरोक्तानुसार SLIP प्रारूप अनुमोदन एवं प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।


निर्णय :- मिशन अमृत अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रस्तुत सर्विस लेवल इम्पुवमेंट प्लान (SLIP) राशि रूपये 57.46 करोड़ का अनुमोदन मेयर-इन-कौंसिल द्वारा सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है।


सचिव
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर


महापौर/अध्यक्ष
मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

पृ.क्रमांक...171...../सचिव/न.पा.नि./अम्बिकापुर दिनांक 09 / 10 / 2015
प्रतिलिपि :-

आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

विषय:- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 16.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 17 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जलप्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु तथा प्रत्येक वर्ग हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। (SLIP) में सम्मिलित कार्यों के घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. पेयजल प्रदाय:- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रुपये-74.00 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानक (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इन्द्रावती नदी में जलशोधन संयंत्र 31.17 एम0एल0डी0, 12 नग ओव्हर हेड टैंक, 02 नग इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन वितरण प्रणाली (लगभग 157 कि0मी0) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट:- अण्डरग्राउंड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए राशि रुपये- 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 36.45 एम0एल0डी0 का सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने का प्रावधान है। शहर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयवधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट (SLIP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क:- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थलों एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है जिस हेतु राशि रुपये- 4.30 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की गई है।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि:- अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय-सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रूपये- 1.00 करोड़ आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित हैं। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों में SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित हैं। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत हैं। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित हैं किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 50 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान शून्य प्रतिशत मानकर का प्रारूप तैयार किया गया है तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत एवं सामान्य सभा की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु।



आयुक्त
नगर पालिक निगम
जगदलपुर



Citython : Ward Level Citizen Consultation



Chhattisgarh – AMRUT SAAP FY-2015-16



State Urban Development Agency, D-Block, Fourth Floor,
Capitol Complex, Naya Raipur, Chhattisgarh-492002.